नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 374, नई दिल्ली, शनिवार 14 मार्च 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

“सच्ची सफलता वही है,जो केवल ऊँचाई तक पहुँचने में नहीं,बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में मिलती है।”

02 आइसक्रीम – एक ऐसी चीज़ जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जिसे माता-पिता...
06 गणित अपने इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहा है
08 महिलाओं और बेटियों को ₹1000 और ₹1500 मासिक सम्मान राशि की घोषणा....

टेंपल्स आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) वैष्णवी फाउंडेशन एवं द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल के सौजन्य से

"पूर्णता निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, स्वास्थ्य जाँच शिविर
आपकी तंदुरुस्ती हमारा ध्येय, टोलवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित

पूर्णतः निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

* वैष्णवी फाउंडेशन के सहयोग द्वारा

संजय कुमार बाठला
राष्ट्रीय अध्यक्ष,

1. आंखों की जांच, 2. रक्तचाप, 3. मधुमेह जांच, 4. मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ 5. भारतीय लेंस की सुविधा * द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल के सहयोग द्वारा 6. बीपी, 7. शुगर, 8. कोलेस्ट्रॉल, 9. हड्डियों का घनत्व,

इस जांच शिविर मे ऊपरलिखित सभी जांच पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
इस जांच शिविर में निम्नलिखित अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स एवम् अन्य की निगरानी में जांच,

वैष्णवी फाउंडेशनः 1. डॉ मनोज कुमार दुबे, 2. रिशु भारद्वाज, एवं 3. विकास राय द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल चिकित्सक 4. जगदीश

जांच शिविर : दिनांकः 15 मार्च (रविवार) 2026
स्थानः गुरुद्वारा सिंह सभा, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, शिवाजी एन्क्लेव, दिल्ली 110027
समयः 10:00 AM to 02:00 PM

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में समय पर पधारें तथा अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को भी साथ लेकर आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ।
विशेष जानकारी मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ भारतीय लेंस की सुविधा के लिए मरीज को अपने खर्चे पर बालाजी हॉस्पिटल लायन्स हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, पर सर्जरी और भारतीय लेंस निशुल्क रहेगा।
स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। आपकी सेहत- हमारी प्राथमिकता।

निवेदक :-
संजय कुमार बाठला-राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिंकी कुंडू-महासचिव, केके छाबड़ा-उपाध्यक्ष, सुनीता शर्मा-सचिव, अभिषेक राजपूत-सचिव

पिंकी कुंडू
महासचिव

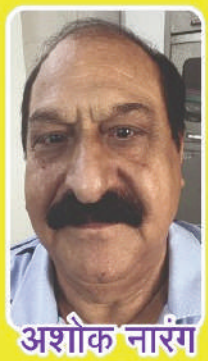

अशोक नारंग
उपाध्यक्ष

के.के. छाबड़ा
उपाध्यक्ष

सुनिता शर्मा
निजि सचिव (महासचिव)

अभिषेक राजपूत
सचिव

जयभगवान
सदस्य

अगर आप भारत देश में निम्नलिखित कार्यों में जनहित को समर्पित है तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं ‘परिवहन विशेष’ समाचार पत्र के तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह में सम्मान

“सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा”
आज ही अपना आवेदन प्रक्रिया पूरी करे, यह बिल्कुल निशुल्क है,
अगर आपकी प्रतिभा इसे प्राप्त करने में सक्षम है तो आवेदन करे
https://www.newsparivahan.com/chief-editor/https://forms.gle/6tTqg7JX4EHGy2Cw9
मुख्य संपादक (परिवहन विशेष)

तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह - 2026

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के जनहित कार्यों को समर्पित

सड़क सुरंक्षा
महिला सुरक्षा
प्रदूषण
साइबर अपराध

अगर आप इन क्षेत्रों में जनहित को समर्पित हैं और आपकी प्रतिभा सक्षम है, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं सम्मान। आज ही बिल्कुल निशुलक आवेदन करें।

दिनांक: 29 मार्च (रविवार) समय - दोपहर 1 बजे 5 बजे तक।
स्थान - कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली, 110001

आवेदन प्रक्रिया
https://forms.gle/6tTqg7JX4EHGY2Cw9

मुख्य संपादक - परिवहन विशेष

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र
India's First Leading English Transport Newspaper
parivahanvishesh

आरएनआई द्वारा दो भाषाओं में अनुमोदित, प्रकाशित समाचार पत्र "परिवहन विशेष" वार्षिक समारोह

दिनांक:- 29 मार्च , स्थान:- मावलंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, समय:- 1 बजे से 5 बजे

परिवहन विशेष : हिन्दी एवं इंग्लिश भाषा दैनिक समाचार पत्र आपको अपने तृतीय वार्षिक समारोह में सम्मान पूर्वक शामिल होने के लिए निमंत्रित करता है
इस वर्ष का वार्षिक समारोह मुख्य रूप से "सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा" को समर्पित है।

मुख्य विशेषता :

1. विशेषज्ञों द्वारा जानने का प्रयास की भारत सरकार द्वारा देश में सख्त कानून लागू करने के बाद भी बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सड़को पर उपलब्ध जाम का मुख्य कारण और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या नीतियां अनिवार्य,
2. सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, एनजीटी, वायु गुणवत्ता आयोग एवं सरकारों द्वारा नए नए दिशा निर्देशों, आदेशों के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है उससे निजात पाने के लिए जाएंगे इस समारोह में विशेषज्ञों से उनके विचार
3. डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते भारत में बढ़ते साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसपर पूर्ण चर्चा एवम् विशेषज्ञों की राय
4. भारत दश में नए कानूनों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार और गुमशुदगी पर गहन चिंतन और विशेषज्ञों के विचार

इस समारोह में भारत देश के ज्वलंतशील मुद्दों पर जानकारी प्राप्त कर समाचार पत्रों द्वारा जनहित में जनता को सचेत करने और उससे जनता की सुरक्षा संभव के लिए *"परिवहन विशेष" " समर्पित एवं पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेगा। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष का वार्षिक समारोह ज्वलंतशील मुद्दों को समर्पित किया गया है। इस समारोह में भारत देश से विशेषज्ञों के साथ - साथ हमारा प्रयास भारत सरकार के माननीय गणमान्य कैबिनेट एवं राज्य स्तरीय मंत्रियों की गरिमा पूर्ण उपस्थिति और उनके विचार जनहित में मुख्य बिंदुओं में रहेगा।

इस समारोह में भारत देश में जनहित में इन कार्यों को करने में पूर्ण निष्ठा से सलग्न "सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यरत समूहों (एनजीओ, ट्रस्ट एवं एसोसिएशन) को पुरस्कार" देकर सम्मानित किया जाएगा।

आपकी उपस्थिति हमारा गर्व

TRANSPORT VISHESH NEWS LIMITED
www.newsparivahan.com, www.newstransport.in

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

हरीश राणा मामला: जीवन का अधिकार और गरिमामय मृत्यु की बहस

-सुनील कुमार महला

बुधवार, 11 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। पाठक जानते होंगे कि अदालत ने गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति प्रदान की है। वास्तव में अदालत का यह निर्णय इसलिए ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान, मानवीय संवेदना और चिकित्सा विज्ञान की वास्तविक स्थिति-तीनों को ध्यान में रखकर यह फैसला सुनाया गया है। दरअसल,हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा की अवस्था में थे। वर्ष 2013 में चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई के दौरान वे एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। इस दुर्घटना के बाद से वे कभी होश में नहीं आ सके और लगातार कोमा की स्थिति में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लंबे समय से चली आ रही इस अवस्था को देखते हुए पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी।यहाँ पाठकों को बताना आवश्यक है कि पैसिव यूथेनेसिया का अर्थ है-ऐसे मरीज को दिए जा रहे कृत्रिम जीवनरक्षक उपचार (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या अन्य चिकित्सा उपकरण) को बंद कर देना, जो लंबे समय से असाध्य बीमारी या कोमा की स्थिति में हो और जिसके स्वस्थ होने की कोई वास्तविक संभावना न हो। उल्लेखनीय है कि इसमें मरीज को मृत्यु देने के लिए कोई दवा नहीं दी जाती, बल्कि केवल जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले साधनों को हटा दिया जाता है, जिससे मरीज स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः अदालत या परिवार की सहमति तथा चिकित्सकों की सलाह के बाद ही इसकी अनुमति दी जाती है, ताकि मरीज को लंबे समय तक होने वाली असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके। हाल फिलहाल, चिकित्सकों के अनुसार, हरीश राणा के स्वस्थ होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है और वे जीवनरक्षक उपकरणों के सहारे ही जीवित हैं। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर घाव भी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके माता-पिता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके बेटे को इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब उसके जीवन में पुनर्वास की कोई वास्तविक संभावना नहीं बची है। बहरहाल, इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को निर्देश दिया है कि हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाए और चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में जीवनरक्षक उपकरणों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।गौरतलब है कि पैलिएटिव केयर वह चिकित्सा व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य गंभीर या असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों के दर्द, कष्ट और मानसिक-भावनात्मक पीड़ा को कम करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है। इसमें बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के बजाय रोगी को आराम, सम्मान और सहारा प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पैलिएटिव केयर ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसका उद्देश्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को उपचार की अंतिम अवस्था में भी गरिमा और सहारा प्रदान करना है।

हाल फिलहाल यहां यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, जो बहुत लंबे समय से कोमा में था और जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति को वर्षों तक केवल मशीनों के सहारे पीड़ा में जीवित रखना उचित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी। न्यायाधीशों ने भी स्वीकार किया कि यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें एक इंसान के जीवन से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न था। किंतु न्यायालय का मत था कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही उसे गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। दरअसल, यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 पर आधारित है, जो प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय पहले भी इस अधिकार को सम्मानजनक जीवन से

जोड़ चुका है।भारत में इच्छामृत्यु को लेकर न्यायालय के निर्णय धीरे-धीरे विकसित हुए हैं। वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई थी। यहां पाठकों को बताता चलूं कि अरुणा शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थीं तथा वर्ष 1973 में अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने उन पर क्रूर हमला किया, जिससे उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुँची और वे स्थायी कोमा जैसी अवस्था में चली गईं। वे लगभग 42 वर्षों तक इसी स्थिति में रहीं और अस्पताल की नर्सें उनकी देखभाल करती रहीं। बाद में, वर्ष 2011 में इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेसिया को अनुमति दी, हालांकि अरुणा शानबाग के मामले में इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि अस्पताल का स्टाफ उनकी देखभाल जारी रखना चाहता था। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर कानूनी बहस का एक महत्वपूर्ण आधार बना। इसके बाद वर्ष 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता प्रदान की और 'लिविंग विल' की व्यवस्था को भी स्वीकार किया। लिविंग विल का अर्थ है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखित रूप में यह घोषित कर सकता है कि यदि वह भविष्य में ऐसी स्थिति में पहुँच जाए, जहाँ उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना न हो, तो उसे कृत्रिम जीवनरक्षक साधनों के सहारे जीवित न रखा जाए।

हाल ही में हरीश राणा के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून, मानवता और चिकित्सा की वास्तविक परिस्थितियों-तीनों को ध्यान में रखकर लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मामला हमारे संविधान की संवेदनशीलता का एक उदाहरण बन गया है। इस मामले में न्यायालय के सामने केवल कानून का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक परिवार की वर्षों से चली आ रही पीड़ा और चिकित्सा विज्ञान की सीमाएँ भी थीं। इसलिए अदालत ने सभी मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए निर्णय दिया। सुनवाई के दौरान पैसिव और एक्टिव यूथेनेसिया के बीच अंतर भी स्पष्ट किया गया। पैसिव यूथेनेसिया में मरीज को जीवित रखने वाले कृत्रिम जीवनरक्षक साधनों को हटा दिया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो सके। वहीं एक्टिव यूथेनेसिया में किसी दवा या विशेष उपाय के माध्यम से सीधे मृत्यु दी जाती है। भारत में एक्टिव यूथेनेसिया अभी भी अवैध है, जबकि पैसिव यूथेनेसिया को न्यायालय की निर्धारित शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने एक संस्कृत श्लोक भी उद्धृत किया-'चिन्तायाश्च चितायाश्च बिन्दुमात्रं विशिष्यते। चिता दहति निर्जीवं चिन्ता दहति जीवनम्॥'अर्थात इसका मतलब यह है कि चिता मृत शरीर को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को भीतर से जला देती है। यह श्लोक उस मानसिक पीड़ा को दर्शाता है, जिसे हरीश राणा का परिवार कई वर्षों से झेल रहा था।यह फैसला एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है कि क्या जीवन का अधिकार केवल सांस लेते रहने तक सीमित है, या उसमें मानवीय गरिमा और पीड़ा से मुक्ति भी शामिल है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत में पैलिएटिव केयर की व्यवस्था अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाई है।

इस प्रकार हरीश राणा का मामला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि एक मानवीय कहानी भी है, जो यह याद दिलाता है कि न्याय और संविधान की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान में निहित है।

अंत में यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्षों से कोमा में पड़े हरीश राणा के मामले में उनके माता-पिता की इच्छा मृत्यु की मांग स्वीकार की है। यह निर्णय लंबे विचार-विमर्श के बाद दिया गया है और इसे गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, कुछ लोगों ने यह चिंता भी व्यक्त की है कि भविष्य में कहीं इसका दुरुपयोग न होने लगे और लोग जल्दबाजी में इलाज छोड़कर इच्छामृत्यु की मांग न करने लगें, जबकि कई मामलों में चिकित्सा विज्ञान और उपचार से चमत्कारिक सुधार भी संभव होते हैं। इस संदर्भ में हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाली घटना भी सामने आई है। डॉक्टरों द्वारा 'ब्रेन डेड' घोषित की गई एक महिला को जब परिवार एंबुलेंस से घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में एंबुलेंस के गड्ढे से गुजरने पर लगे तेज झटके के बाद उसमें अचानक जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। बाद में उसे पुनः अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार मिलने के बाद उसकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ और अब वह स्वस्थ बताई जा रही है।

यहां यह कहना भी है कि आज स्वास्थ्य सेवाएँ पहले की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो चुकी हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के इलाज में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अक्सर आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं अस्पताल इस फैसले को गंभीर मरीजों से बचने का बहाना न बना लें। अदालत ने भी स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवा केवल मुनाफे का व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन और गरिमा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीमित शर्तों के साथ इच्छामृत्यु को स्वीकार करते हुए यह संदेश दिया है कि जब किसी मरीज के स्वस्थ होने की कोई संभावना न हो और वह केवल कृत्रिम प्रणालियों के सहारे जीवन-मरण की पीड़ा झेल रहा हो, तब उसे गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए। यदि इस फैसले का जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ उपयोग किया जाए, तो यह विशेष रूप से उन गरीब परिवारों के लिए राहत और सहारा बन सकता है, जो संसाधनों के अभाव में अपने प्रियजनों को असहनीय कष्ट झेलते देखते हैं।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड

आइसक्रीम : एक ऐसी चीज़ जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जिसे माता-पिता स्नेहपूर्वक उन्हें खिलाते हैं — हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वह दिखाई देती है।

हाल ही में सामने आई कुछ चिंताजनक रिपोर्टों और वीडियो से यह संकेत मिलता है कि कुछ स्थानों पर तथाकथित "आइसक्रीम" वास्तविक दुग्ध उत्पादों के बजाय यूरिया, कैंसरकारी रंगों तथा अन्य हानिकारक औद्योगिक रसायनों का उपयोग करके बनाई जा रही है।

ऐसे पदार्थ मानव उपभोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होते। यूरिया और कुछ कृत्रिम रंग मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और इनमें से कुछ रसायन कार्सिनोजेनिक (कैंसर उत्पन्न करने वाले) माने जाते हैं, अर्थात वे समय के साथ कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

जब इस प्रकार के विषैले पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं, तो इसके परिणाम विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनके विकसित होते शरीर रासायनिक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

माता-पिता स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को छोटी-छोटी खुशियाँ देना चाहते हैं — गर्म दिन में आइसक्रीम का एक स्कूप, भोजन के बाद कोई मीठा पकवान, या अच्छे व्यवहार के लिए एक छोटा सा पुरस्कार।

किन्तु यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि क्षणिक आनंद के लिए बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य से समझौता करना कभी भी उचित नहीं है।

जहाँ तक संभव हो, ताज़े और प्राकृतिक मिठाइयों का चयन करें या घर पर बने सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दें।

यदि आप सचमुच अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तो वे क्या खा रहे हैं इस पर सजग और सतर्क रहें।

आज उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही उनके उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है।

आइए, हम सभी अपने बच्चों की थाली में परोसे जाने वाले भोजन के प्रति जागरूक, सावधान और जिम्मेदार बनें।

जब भी मैं कैंसर से पीड़ित बच्चों के माता-पिता से मिलता हूँ, तो वे गहरे दुःख और पीड़ा के साथ अक्सर कहते हैं:

"हमारे बच्चे की कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, न ही गुटखा या तंबाकू का सेवन किया। फिर उसे कैंसर कैसे हो गया?" ये भोले-भाले और शोकाकुल माता-पिता अक्सर यह नहीं समझ पाते कि हानिकारक जोखिम केवल धूम्रपान या तंबाकू तक ही सीमित नहीं हैं। आज की दुनिया में बच्चे अनजाने में कई ऐसे खाद्य पदार्थों और पेयों के संपर्क में आ रहे हैं जिनमें संभावित रूप से कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व छिपे हो सकते हैं—जैसे कृत्रिम रंगों से बने आइसक्रीम, रासायनिक पदार्थों से भरपूर कोल्ड ड्रिंक्स, तथा विभिन्न प्रकार के अत्यधिक प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) स्नैक्स। जो चीज़ें देखने में साधारण और निर्दोष प्रतीत होती हैं, वे कभी-कभी कृत्रिम योजकों, हानिकारक रसायनों और संभावित कैंसरकारी तत्वों से युक्त हो सकती हैं। यदि इनका लंबे समय तक बार-बार सेवन किया जाए, तो वे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को जन्म दे सकती हैं।

माता-पिता का यह दर्दभरा प्रश्न हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई की याद दिलाता है कि आधुनिक समय के अनेक स्वास्थ्य-संबंधी खतरे अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं, जो अक्सर हमारे दैनिक आहार की साधारण प्रतीत होने वाली चीज़ों में ही छिपे रहते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि परिवार अपने बच्चों के भोजन और पेय पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति जागरूक, सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि आज उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही उनके सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।

लगभग 65 की उम्र में, शरीर अच्छे ईमेल भेजना बंद कर देता है और ऑफिशियल मेमो जारी करना शुरू कर देता है। यही बात मुझे धीरे-धीरे समझ आ रही है।

आप एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपके घुटनों की अब राय है। आपकी पीठ ने रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है। आपके ब्लड प्रेशर में महत्वाकांक्षाएं आ गई हैं। आपके अंदर कहीं, कोलेस्ट्रॉल चुपचाप आपकी आर्टरीज़ के साथ एक रिटायरमेंट होम बना रहा है, बिना प्लानिंग परमिशन मांगे।

इस उम्र में, डॉक्टर अब आपका स्वागत "आप कैसे हैं?" से नहीं करते, बल्कि "हम इस साल क्या मॉनिटर कर रहे हैं?" से करते हैं।

कार्डियोवैस्कुलर बीमारी एक पुराने क्लासमेट की तरह इंतज़ार करती है जो कभी नहीं भूला कि आपने उसे पैसे दिए थे। टाइप टू डायबिटीज़ एक ऐसे रिश्तेदार की तरह छिपी रहती है जो बिना बताए आ जाता है और उम्मीद से ज़्यादा देर तक रुकता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों से मोलभाव करने में बिज़ी है, धीरे-धीरे उन्हें यकीन दिलाता है कि डेंसिटी को ओवररेटेड माना जाता है। आर्थराइटिस बातचीत में शामिल हो जाता है ताकि हर मूवमेंट पर पहले से चर्चा हो सके।

और कैंसर, खैर, कैंसर वह बिन बुलाया मेहमान है जिसका नाम लेने के लिए हर कोई अपनी आवाज़ धीमी कर देता है।

यह ज़िंदगी का वह मौसम है जब शरीर सम्मान, रसीदें और लाइफस्टाइल ऑडिट चाहता है।

अचानक आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिन्हें आप कभी नज़रअंदाज़ करते थे। शराब पीना बंद करें, ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ। नमक कम करें। रोज़ टहलें। अच्छी नींद लें। स्ट्रेस से बचें। पानी पिएँ। आपको एहसास होता है कि ये सुझाव नहीं हैं। ये सर्वाइवल टिप्स हैं जिन पर मेरा बचपन आधी रात के बाद भी अनलिमिटेड ड्रिंक्स के साथ फ्रेंच फ्राइज़ और मूंग दाल के पकोड़े खाते हुए हँसता था।

एक्सरसाइज़ अब अच्छा दिखने से ज़्यादा फ़र्नीचर से बिना टकराए खड़े रहने के बारे में हो जाती है। आपको अपनी हड्डियों के लिए वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज़ करने को कहा जाता है। तेज़ चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, स्क्वैट्स। इस समय, कार में चढ़ना भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसा लगता है। आपको एक पैर पर खड़े होने जैसी बैलेंस एक्सरसाइज़ करने की सलाह दी जाती है। आप इसे आज़माते हैं और तुरंत पता चल जाता है कि कुर्सियों का आविष्कार क्यों हुआ था।

आपके जोड़ों के लिए स्विमिंग की सलाह दी जाती है। साइकिलिंग बहुत अच्छी है। योगा बहुत बढ़िया है। ताई ची शांत करने वाली है। आप गंभीरता से सिर हिलाते हैं, यह अच्छी तरह जानते हुए कि एकमात्र रेगुलर एक्सरसाइज़ जिसमें आपने महारत हासिल की है, वह है बिस्तर पर स्किल और अनुभव के साथ करवट बदलना।

फिर डाइट आती है।

कैल्शियम। विटामिन D। विटामिन K। मैग्नीशियम। फाइबर। प्रोटीन। एंटीऑक्सीडेंट। अचानक आपकी प्लेट फार्मेसी शेल्फ जैसी दिखने लगती है। आपको ज़्यादा सलाद, प्रोटीन और बहुत कम कार्ब्स खाने के लिए कहा जाता है। बाजरा, बीन्स, साबुत अनाज, फल, नट्स, स्प्राउट्स और पत्तेदार चीज़ें आपकी डाइट बन जाती हैं। सिंगल माल्ट, वोडका कॉकटेल, टकीला शॉट्स और संगरिया की जगह नारियल पानी, स्टिल वॉटर और एप्पल साइडर शॉट्स ने ले ली है।

आपको दिन में दो ग्राम से कम नमक लेने के लिए कहा जाता है। दो ग्राम। यह नमक की वह मात्रा है जो गलती से शेकर से गिर जाती है जब मैं कुछ और सोच रहा था।

चीनी एक क्रिमिनल बन जाती है। तला हुआ खाना शक वाला हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड लोगों का दुश्मन बन जाता है। पकौड़ों के बारे में अब पास्ट टेंस में बात की जाती है जैसे पुराने लवर जो आपके भविष्य के लिए बुरे थे।

हमें खाने में लहसुन, अदरक, नींबू और हर्ब्स डालने की सलाह दी जाती है। मैंने पाया कि बिना नमक का खाना मोटिवेशनल स्पीच जैसा लगता है। हेल्दी, इंस्पायरिंग और निगलने में थोड़ा मुश्किल।

पोर्शन कंट्रोल शुरू किया जाता है। मुट्ठी भर कार्बोहाइड्रेट। हथेली भर प्रोटीन। आप अपने हाथों को देखना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वे बड़े क्यों नहीं हैं।

लेकिन इस सारे मज़ाक के नीचे, कुछ बहुत साफ़ हो जाता है।

पैंसठ के बाद सेहत अब ऑटोमैटिक नहीं रहती। यह रोज़ का फ़ैसला है। यह एक शांत अनुशासन है। यह तब चलना चुनना है जब आप बैठ सकते थे। तब सब्ज़ियाँ चुनना जब आप तल सकते थे। जब आप स्क्रॉल कर सकते थे तब सोना चुनना। अपने शरीर के प्रति दया दिखाना जैसे आपको लोगों के प्रति दया दिखानी चाहिए।

आपको एहसास होता है कि बुढ़ापा सालों से नहीं बल्कि आदतों से तय होता है।

तो आप चलते हैं। पहले धीरे-धीरे। आप अपनी हरी सब्ज़ियाँ नए सम्मान के साथ खाते हैं। आप सलाद को घूरते हैं और पिछली अनदेखी के लिए धीरे से माफ़ी माँगते हैं। आप बैठने की कोशिश करते हैं और आपके घुटनों से ऐसी आवाज़ें आती हैं जो आपको एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोलने की याद दिलाती हैं।

और इस सब के बीच, आप हँसते हैं।

क्योंकि वही शरीर जिसने आपको जवानी में लापरवाही से पाला था, अब थोड़ा सहयोग माँग रहा है। चमत्कार नहीं। बस संयम। सज़ा नहीं। बस अनुशासन।

पैंसठ साल की उम्र के बाद, आप आखिरकार कुछ गहरी बात समझ जाते हैं।

अच्छी सेहत कोई तोहफ़ा नहीं है। यह एक प्रोजेक्ट है।

और सभी सीरियस प्रोजेक्ट्स की तरह, यह छोटे, ज़िद्दी, लगातार कामों से शुरू होता है।

अभी ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए खुश रहें लेकिन अपने बूढ़े होते शरीर के हार्डवेयर के साथ अच्छा व्यवहार करें।

नीचे शाकाहारी, सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें LPG गैस का इस्तेमाल किए बिना बनाया जा सकता है।

1. स्प्राउट्स चाट
2. भेल पूरी
3. सेव पूरी
4. दही पूरी
5. फ्रूट चाट
6. दही भात
7. दही पोहे
8. नींबू पोहे
9. मूंग दाल कोसिम्बिर
10. चना चाट
11. खीरा रायता
12. बूंदी रायता
13. ककुंबर सलाद
14. मूंगफली सलाद
15. दही सैंडविच
16. हरी चटनी सैंडविच
17. पनीर भुर्जी सैंडविच
18. भरवां खीरा
19. लस्सी
20. मसाला छाछ
21. अंकुरित बीन्स सलाद
22. फ्रूट सलाद
23. खीरा-टमाटर सलाद
24. मूंगफली-खीरा सलाद
25. केला-दही मिक्स
26. खजूर-इंई फ्रूट मिक्स
27. इंई फ्रूट लड्डू (बिना गैस के)
28. शहद-नींबू पानी
29. पुदीना-दही डिप
30. अंकुरित मूंग सलाद
31. संतरा-मूंगफली सलाद
32. खीरा रोल (स्प्राउट्स के साथ)
33. टमाटर-प्याज़-धनिया सलाद
34. पनीर सलाद
35. भीगे ओट्स-दही बाउल
36. चिया सीड्स-दही बाउल
37. मूंगफली-गुड़ मिक्स
38. नारियल-गुड़ मिक्स
39. फ्रूट स्मूदी
40. छाछ-पुदीना ड्रिंक
41. अंकुरित मूंग सलाद
42. अंकुरित चना सलाद
43. पनीर क्यूब्स सलाद
44. टमाटर चाट
45. खीरा-गाजर सलाद
46. गाजर-चुकंदर सलाद
47. दही-शहद बाउल
48. संतरा-दही सलाद
49. इंई फ्रूट सलाद
50. खजूर-बादाम मिक्स
51. अंजीर-इंई फ्रूट मिक्स
52. नारियल-खजूर बॉल
53. मूंगफली-गुड़ लड्डू
54. फ्रूट योगर्ट बाउल
55. पनीर-खीरा सलाद
56. अंकुरित मूंग-मूंगफली सलाद
57. खीरा-दही डिप
58. पुदीना छाछ
59. नींबू-शहद पानी
60. गाजर स्टिक्स सलाद
61. चुकंदर स्टिक्स सलाद
62. नमक-नींबू के साथ खीरा स्टिक्स
63. टमाटर-नींबू सलाद
64. प्याज़-नींबू सलाद
65. अंकुरित चना सलाद
66. पनीर-टमाटर सलाद
67. पनीर-धनिया मिक्स
68. इंई फ्रूट दही
69. ओट्स-फ्रूट बाउल
70. चिया सीड्स-फ्रूट बाउल
71. मूंगफली-धनिया सलाद
72. खीरा-पुदीना सलाद
73. टमाटर-पुदीना सलाद
74. दही-पुदीना डिप
75. अंकुरित बीन्स मिक्स सलाद
76. कच्चा पपीता सलाद
77. संतरा-केला सलाद
78. फल-दही मिक्स
79. खीरा-मूंगफली सलाद
80. गाज़र-धनिया सलाद
81. चुकंदर-नींबू सलाद
82. अंकुरित मूंग-टमाटर सलाद
83. अंकुरित मूंग-मूंगफली सलाद
84. खीरा-टमाटर-पनीर सलाद
85. दही-इंई फ्रूट मिक्स
86. मूंगफली-नींबू सलाद
87. फल-इंई फ्रूट मिक्स
88. केला-शहद बाउल
89. सेब-शहद बाउल
90. पपीता-नींबू सलाद
91. तरबूज़ सलाद
92. खरबूज़ा सलाद
93. मिक्स्ड फ्रूट बाउल
94. पुदीना-नींबू पानी
95. छाछ-जीरा ड्रिंक
96. नींबू शरबत
97. पनीर-फल सलाद
98. अंकुरित मूंग-फल सलाद
99. खीरा-दही सलाद
100. मूंगफली-दही मिक्स

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 374, नई दिल्ली, शनिवार 14 मार्च 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सच्ची सफलता वही है,जो केवल ऊँचाई तक पहुँचने में नहीं,बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में मिलती है।"

02 आइसक्रीम – एक ऐसी चीज़ जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जिसे माता-पिता...

06 गणित अपने इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहा है

08 महिलाओं और बेटियों को ₹1000 और ₹1500 मासिक सम्मान राशि की घोषणा....

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों पर संशोधित ई.सी.सी. को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, स्पष्टता और निष्पक्ष क्रियान्वयन की मांग की। साथ ही स्वच्छ बी. एस.-VI वाणिज्य वाहनों को ई.सी.सी. से छूट देने की अपील

– डॉ. हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी), जो देश के सड़क परिवहन क्षेत्र का शीर्ष संगठन है, ने दिल्ली को ट्रांजिट मार्ग के रूप में उपयोग करने वाले वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ई.सी.सी.) बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का स्वागत किया है। यह बढ़ोतरी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (सी. ए. क्यू. एम.) की सिफारिश पर वर्तमान ₹2600 से बढ़ाकर ₹4000 की गई है तथा इसमें हर वर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।

एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने कहा, "हम समझते हैं कि ई.सी.सी. बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन वाणिज्यिक वाहनों को हतोत्साहित करना है जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है और जो दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं, ताकि वे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें। इससे राष्ट्रीय राजधानी में अनावश्यक यातायात और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने कहा कि इस निर्णय को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वास्तविक ट्रांजिट वाहनों की पहचान के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए। बढ़ा हुआ ई.सी.सी. केवल उन वाहनों पर ही लागू होना चाहिए जो दिल्ली को ट्रांजिट मार्ग के रूप में उपयोग करते हैं। जिन ट्रकों का लोडिंग या अनलोडिंग के लिए वास्तविक गंतव्य दिल्ली है, उन पर यह शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। इस विषय में किसी भी तरह की अस्पष्टता से दिल्ली के व्यापार और उपभोक्ताओं की सेवा करने वाले ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि ई.सी.सी. की व्यवस्था वर्ष 2015 में लागू की गई थी, जब ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चालू नहीं थे। आज इन एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद अधिकांश लंबी दूरी का ट्रांजिट माल परिवहन इन्हीं मार्गों से हो रहा है। इसलिए आज दिल्ली में प्रवेश करने वाले अधिकांश ट्रक वास्तव में शहर के भीतर सामान की डिलीवरी के लिए आते हैं और इस तथ्य को संशोधित ई.सी.सी. लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डॉ. सभरवाल ने यह भी कहा कि "ट्रकों पर ई.सी.सी. लगाने और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक वाहनों की आयु सीमा जैसी पाबंदियों के बावजूद, विशेषकर सर्दियों में, दिल्ली के वायु प्रदूषण स्तर में अपेक्षित कमी नहीं आई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदूषण की समस्या कई कारणों से जुड़ी हुई है और इसके लिए केवल ट्रकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पराली जलाना, निजी वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या, सड़कों और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल तथा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

डॉ. हरीश सभरवाल ने जोर देकर कहा कि "बी. एस.-VI मानक के ट्रक आज भारतीय सड़कों पर सबसे स्वच्छ वाहनों में शामिल हैं। इनमें उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकें हैं, जैसे डीज़ल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डी.ई.एफ.), और इन्हें वाहन निर्माताओं तथा भारत सरकार द्वारा सख्त उत्सर्जन मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया गया है।"

इसी को ध्यान में रखते हुए एआईएमटीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दायर कर बी. एस.-VI मानक ट्रकों को ई.सी.सी. से छूट देने तथा उन्हें उनकी वैध 15 वर्ष की आयु तक दिल्ली-एनसीआर में संचालन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। स्वच्छ तकनीक में भारी निवेश करने वाले परिवहन संचालकों के लिए यह निर्णय पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित और आर्थिक रूप से भी न्यायसंगत होगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि माननीय न्यायालय इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए संतुलित और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने दोहराया कि परिवहन उद्योग प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक, न्यायसंगत और प्रभावी सभी उपायों का समर्थन करता है, साथ ही यह भी जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों को बनाए रखने के लिए माल की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित की जाए।

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की मांग, पीएम को भेजी शिकायत

परिवहन विशेष न्यूज

ओडिशा के सुंदरगढ़ सहित कई जिलों में अग्निशमन सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राजकुमार यादव ने प्रधानमंत्री को शिकायत भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, क्योंझर और अनुगुल जिलों में फायर सेफ्टी नियमों का व्यापक उल्लंघन होने का आरोप लगाया है।

डॉ. यादव ने अपने पत्र में कहा है कि इन क्षेत्रों में अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बार-रेस्टोरेंट, क्लब, बहुमंजिला व्यावसायिक भवन तथा मेला और प्रदर्शनी आयोजक अग्निशमन विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर बिना वैध फायर लाइसेंस के ही व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस हैं, वे भी आवश्यक अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी समय आग लगने जैसी दुर्घटना होने पर बड़ी जनहानि की आशंका बनी रहती है। इसके साथ

ही फायर लाइसेंस के साथ अग्नि बीमा अनिवार्य नहीं होने के कारण दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को समुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता।

डॉ. यादव ने आरोप लगाया कि संबंधित विभागों के कुछ अधिकारी और कर्मचारी निरीक्षण में लापरवाही बरत रहे हैं और कई मामलों में अनियमितताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इसे आम जनता की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ बताया।

प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने जनहित में कई अहम मांगें भी उठाई हैं। इनमें सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, क्लब, सिनेमा हॉल और बहुमंजिला इमारतों के लिए वैध फायर लाइसेंस अनिवार्य करने, फायर लाइसेंस के साथ अग्नि बीमा पॉलिसी को भी जरूरी बनाने, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने और मेला, प्रदर्शनी व सार्वजनिक आयोजनों के लिए अस्थायी अग्निशमन अनुमति को सख्ती से लागू करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने अग्निशमन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई करने तथा नियमित निरीक्षण के लिए विशेष संयुक्त उड़नदस्ता टीमों के गठन की भी मांग की है।

डॉ. राजकुमार यादव ने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से भारी जन-धन हानि हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस गंभीर जनसुरक्षा मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है।

दिल्ली टोल प्लाजा पर जाम की समस्या जारी, खत्म करने के लिए एमसीडी का नया प्लान

दिल्ली में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए, MCD ने 'सहकार ग्लोबल' का टोल वसूली अनुबंध छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक या छह महीने, जो भी पहले हो, के लिए है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से, MCD ने एक हाउस मीटिंग के दौरान, टोल वसूली का काम देख रही कंपनी 'सहकार ग्लोबल' के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। टोल कंपनी का मौजूदा कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होने वाला है।

इसलिए, MCD ने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है, या तब तक के लिए जब तक नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती दोनों में से जो भी पहले हो।

गौरतलब है कि इससे पहले भी इस कॉन्ट्रैक्ट को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। दिसंबर 2025 में जारी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए, MCD ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, एक 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' (RFP) तैयार किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम न हो।

इसी संदर्भ में और नए RFP को अंतिम रूप देने और लागू करने तक मौजूदा कंपनी, सहकार ग्लोबल का कॉन्ट्रैक्ट अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो ₹864 करोड़ के सालाना राजस्व अनुमान पर आधारित है। हाउस ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट का MCD को निर्देश

यह ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले MCD को निर्देश दिया था कि वह इन जगहों पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नौ खास टोल प्लाजा को हटा दे। ये टोल प्लाज़ा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हैं, जहाँ टोल वसूली के बुनियादी ढांचे की मौजूदगी के कारण तेज रफ्तार ट्रैफिक अक्सर बाधित हो जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम लग जाता है। अपने प्रस्ताव में, MCD ने पुष्टि की कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सक्रिय रूप से काम कर रही है।

इसी दिशा में, यह नागरिक निकाय (civic body) वर्तमान में 156 टोल वसूली बिंदुओं पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) सिस्टम लगा रहा है। MCD का दावा है कि इस नई प्रणाली के तहत, वाहनों को टोल टैक्स देने के लिए अब भौतिक रूप से रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, जैसे ही कोई वाहन कैमरे के सामने से गुजरेगा, वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर, लागू टोल राशि वाहन के पंजीकृत FASTag खाते से अपने आप कट जाएगी।

इस व्यवस्था से ट्रैफिक जाम की समस्या को रोकने की उम्मीद है। यह बताना ज़रूरी है कि सहकार ग्लोबल को शुरू में 2021 में तीन साल के लिए टोल कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसकी अवधि 2024 में खत्म हो गई। तब से, कॉन्ट्रैक्ट को छह-छह महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि MCD का टोल विभाग अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर जारी नहीं कर पाया है। इस बीच, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कॉर्पोरेशन को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

ANPR की सफलता पर अभी भी संदेह

टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने की कोशिश में, MCD (दिल्ली नगर निगम) ने शुरू में 2017-18 के वित्तीय वर्ष के दौरान 13 टोल बूथों पर RFID (रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) डिवाइस लगाए थे। MCD ने दावा किया था कि यह सिस्टम जो 'FASTag' व्यवस्था पर आधारित है। इन प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को पूरी तरह खत्म कर देगा। हालाँकि, ₹100 करोड़ खर्च करने के बावजूद, MCD इस कोशिश में सफल नहीं हो पाई। इस नाकामी की वजह यह थी कि ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर उन गाड़ियों के मालिक नहीं होते जिन्हें वे चलाते हैं। नतीजतन, गाड़ियों के असली मालिक जिनकी तरफ से वे गाड़ी चलाते हैं।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार

तकनीकी पंजों वाली साइबर शेरनी

नेहा बाला : भारत की साइबर अपराध विरोधी अग्रणी योद्धा

परिचय

झारखंड के साइबर अपराध के रणक्षेत्र पर एक नाम गूंजता है—डिप्टी एसपी नेहा बाला। उन्हें केवल एक पुलिस अधिकारी कहना उनके योगदान को कम आंकना होगा। वे एक साइबर शेरनी हैं, जिनके पंजे तकनीकी विशेषज्ञता से धारदार बने हैं। उनकी दहाड़ ने न केवल स्थानीय धोखाधड़ी नेटवर्क को हिलाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों तक भी डर का संदेश पहुँचाया।

शिक्षा और शुरुआत

चेन्नई के सत्यभामा कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बी.ई. करने के बाद नेहा बाला ने पुलिस सेवा में कदम रखा। 2016 बैच की अधिकारी के रूप में झारखंड पुलिस में शामिल होते ही उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि ने उन्हें सीधे साइबर अपराध जांच की जिम्मेदारी दिलाई।

करियर की प्रमुख उपलब्धियाँ

- देवघर और जामताड़ा जैसे साइबर धोखाधड़ी के हॉटस्पॉट में 9+ वर्षों का अनुभव।
- 2023: गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्रशंसा पत्र प्राप्त।
- 2025: सात भारतीयों और चीनी अपराधियों से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश।
- डिजिटल गिरफ्तारी और निवेश घोटाले का खुलासा।
- 2026: थाईलैंड में नौकरी चाहने वालों की तस्करी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी।
- इस केस ने दिखाया कि कैसे मानव तस्करी और साइबर अपराध एक-दूसरे से जुड़े हैं।

नेतृत्व और संचालन

2016 में उद्घाटित झारखंड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की SHO के रूप में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच और अंतिम रिपोर्ट तक की जिम्मेदारी संभाली।

उनकी विशेषज्ञता में शामिल हैं:

- ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी
- क्रिप्टोकरेंसी घोटाले
- सोशल मीडिया अपराध
- साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेशन

बैंकों और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ उनका समन्वय धोखाधड़ी रोकथाम में निर्णायक साबित हुआ।

मान्यता और प्रभाव

अतिरिक्त डीजीपी (सीआईडी) मनोज कौशिक ने उनके "असाधारण कार्य" की सराहना की।

उनकी खुफिया-आधारित कार्रवाइयों ने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध पर नकेल कसने में अहम भूमिका निभाई।

निष्कर्ष

नेहा बाला की कहानी केवल एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि एक साइबर शेरनी की है, जिसने तकनीकी पंजों से अपराधियों को मात दी।

उनकी लड़ाई यह साबित करती है कि जब तकनीकी विशेषज्ञता और पुलिसिंग कौशल एक साथ आते हैं, तो साइबर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचती।

दिल्ली की बसों में पिंक कार्ड के बिना भी मिलेगा फ्री सफर! DTC ने किया एलान

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाएं अभी भी डीटीसी बसों में पिंक पेपर टिकट से मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मिलने तक जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि महिलाएं अभी भी DTC बसों में पिंक पेपर टिकट का इस्तेमाल करके मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। पिंक साहेली स्मार्ट कार्ड मिलने तक कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) ने एक बयान जारी कर कहा कि महिलाएं चिंता न करें और कार्ड लेने के लिए भागदौड़ न करें। मौजूदा व्यवस्था के तहत पिंक पेपर टिकट से ही बस में मुफ्त सफर जारी रहेगा, भले ही उनके पास पिंक साहेली स्मार्ट कार्ड न हो।

DTC ने बताया कि जब ज्यादातर पात्र महिलाओं को यह स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा, तब धीरे-धीरे पेपर टिकट सिस्टम को बंद करके कार्ड-आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। कार्ड वितरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है और सभी पात्र महिलाएं आसानी से अपना कार्ड प्राप्त कर सकेंगी।

पिंक साहेली स्मार्ट कार्ड क्या है?

यह कार्ड दिल्ली सरकार की नई पहल है, जिसे 2 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया था। यह दिल्ली की निवासी महिलाओं (और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों) को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त और असीमित यात्रा की सुविधा देता है। कार्ड को बस में टैप करके आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

साथ ही, इसे टॉप-अप करके दिल्ली मेट्रो, RRTS और अन्य सार्वजनिक परिवहन में पेड यात्रा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह पुराने पिंक पेपर टिकट सिस्टम की जगह ले रहा है, जो केंद्र की स्वन नेशन, वन कार्ड योजना के तहत था।

कार्ड कहां और कैसे मिलेगा?

दिल्ली में कुल 50 निर्धारित काउंटर बनाए गए हैं, जहां से कार्ड मुफ्त में मिलेगा।

पात्रता: दिल्ली की निवासी महिलाएं (आयु सीमा आमतौर पर 5 या 12 वर्ष से ऊपर, विवरण के अनुसार) और ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और दिल्ली का निवास प्रमाण।

कार्ड लिंक आधार और मोबाइल से होगा, ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि यह कार्ड दिल्ली की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के साथ-साथ सुरक्षित और सुविधाजनक सफर सुनिश्चित करेगा। DTC ने महिलाओं से अपील की है कि वे धैर्य रखें और जब सुविधाजनक हो, तब कार्ड बनवा लें। अभी पिंक पेपर टिकट पूरी तरह वैध है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी।

पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, झज्जर के 74 हजार 667 किसानों के खातों में पहुंची 15.47 करोड़ रुपये की राशि

जिलाभर में किसानों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का संबोधन लाइव सुना

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 13 मार्च। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम-किसान योजना के तहत 22वीं किस्त जारी होने पर जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी, असम से आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान देशभर के किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि सीधे ट्रांसफर की। जिला भर में किसानों ने जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन सुना। जिला स्तर पर लाइव प्रसारण बादली रोड स्थित किसान विज्ञान केंद्र में सुना गया।

उप निदेशक कृषि जितेंद्र अहलावत ने बताया कि डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रमों में जिलाभर के किसान बड़ी संख्या में भागीदार बने।

जितेंद्र अहलावत ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है और इससे किसानों के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान की 22वीं किस्त के अंतर्गत झज्जर जिले के 74 हजार 667 किसानों के खातों में 15 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त विश्वास और सम्मान का प्रतीक भी है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि के बिना देश का विकास संभव नहीं है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी तथा क्षेत्र के अनेक किसान उपस्थित रहे।

नए वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू....

प्रशासन ने प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर आमजन से मांगे सुझाव सुझाव व आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 23 मार्च

झज्जर, 13 मार्च। जिला कलेक्टर एवं डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट के निर्धारण को लेकर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा द्वारा सुझाव और आपत्तियां 23 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।

डीसी ने बताया कि संयुक्त सब रजिस्ट्रार झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल, बादली और साल्हावास से प्राप्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित कलेक्टर रेट आमजन के सुझाव/ऐतराज के लिए जिला झज्जर की आधिकारिक वेबसाइट (https://jhajjar.nic.in) झज्जर डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि कोई नागरिक सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह आगामी 23 मार्च तक लघु सचिवालय, झज्जर स्थित प्रथम तल पर मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा के कमरा नंबर 207 में दर्ज करवा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद किसी भी सुझाव या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला रजिस्ट्रार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कलेक्टर रेट निर्धारण को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो अवश्य दर्ज करवाएं। प्राप्त सुझाव एवं एतराज की सुनवाई उपरांत एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे।

एलपीजी की जमाखोरी व कालाबाजारी प्रशासन सख्त : डीसी

जिले में गैस, पेट्रोल एवं डीजल आपूर्ति की कोई कमी नहीं एलपीजी, सीएनजी और पेट्रो प्रोडक्ट आपूर्ति की निरंतर निगरानी

झज्जर, 13 मार्च। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिले में एलपीजी, सीएनजी तथा पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर शासन-प्रशासन सजग व सतर्क है, अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। किसी प्रकार अनियमितता मिलने और अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

डीसी ने कहा कि एलपीजी गैस, सीएनजी ,पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार हो रही है। रसोई गैस की कमी नहीं है। सभी उपभोक्ताओं से प्रशासन की सलाह है कि पैनिक होकर एलपीजी बुकिंग न करें। पहले की तरह आवश्यकता होने पर ही एलपीजी खरीदें। आमजन किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। डीसी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में स्टॉक की निरंतर निगरानी रखें और यदि कोई कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजेश्वर मुदगिल ने कहा कि जिला में गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और अनियमितता पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से विशेष निगरानी की जा रही है। इसके तहत विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिला भर में गैस एजेंसियों और सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। सभी आपूर्तिकर्ताओं से प्रति दिन रिपोर्ट भी ली जा रही है।

उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि यदि गैस सिलेंडर की सप्लाई, कीमत या वितरण को लेकर कोई शिकायत होने पर सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जा सके।

एसडीएम अभिनव सिवाच ने जसौर खेड़ी से कुलासी सड़क मार्ग का किया निरीक्षण

– सैंपलिंग कर गुणवत्ता जांच के दिए आदेश

– विकास कार्यों पर खर्च सार्वजनिक धनराशि का उपयोग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करें विभाग– बोले एसडीएम

परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़। 13 मार्च उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्मित जसौर खेड़ी से कुलासी तक सडक़ मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सडक़ निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए मौके पर ही सैंपलिंग करवाई और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस सडक़ का निर्माण कार्य 26 दिसंबर से शुरू हुआ था और पूरा कार्य होने के बाद इस सडक़ के निर्माण में गुणवत्ता की कमी की शिकायत मिल रही थी।

एसडीएम अभिनव सिवाच ने निरीक्षण के दौरान सडक़ की मोटाई, सामग्री की गुणवत्ता तथा निर्माण कार्य की तकनीकी मानकों के अनुरूपता की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा विकास कार्यों पर खर्च की जा रही सार्वजनिक धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडक़ निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री के सैंपल को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाए, ताकि गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या कमी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एसडीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों की भी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को बेहतर और टिकाऊ सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे।

स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लाट खरीदें नागरिक : डीसी

अवैध कॉलोनी काटने के मामले में झज्जर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

झज्जर क्षेत्र में संबंधित विभाग ने जारी किए खसरा नंबर, जमीन की खरीद व बिक्री पर लगाई रोक

झज्जर, 13 फरवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि झज्जर क्षेत्र के झज्जर क्षेत्र में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि झज्जर क्षेत्र के किला नंबर 184//22/2, 192//3/1 में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना लाइसेंस के प्लाट बिक्री की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक लगाई गई है। डीटीपी विभाग के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है।

उन्होंने बताया कि बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को उक्त साइट पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण या सडक़ नेटवर्क विकसित न होने देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे भू-माफियाओं से बचें । केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।

प्रशासन का लक्ष्य समाधान से हर शिकायतकर्ता की संतुष्टि : डीसी

समाधान शिविरों में प्राप्त कुल 5709 शिकायतों में से केवल 160 पेंडिंग

समाधान की एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें विभाग

झज्जर, 13 मार्च। उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि समाधान शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए अधिकारियों को इसकी गंभीरता को समझते हुए हर शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना होगा। डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित साप्ताहिक समाधान शिविर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त हर शिकायत का गंभीरता से समाधान किया जाए और किसी भी स्तर पर उसे लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि समाधान की अद्यतन रिपोर्ट समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बैठक में सीटीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक समाधान शिविरों में प्राप्त कुल 5709 शिकायतों में से केवल 160 पेंडिंग है।

उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना है। ऐसे में कोई भी विभागीय अधिकारी शिकायतों को लंबित न रखें और पूर्ण जांच के बाद ही समाधान दर्ज करें, जिससे बार-बार शिकायतों के री-ओपन होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान में री-ओपन हुई शिकायतों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीसी ने कहा कि समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं भी समय-समय पर शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके।

इस दौरान एडीसी जगनिवास, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, एसीपी सुरेंद्र कंबोज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

20 मार्च को होगा ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन : डीसी

झज्जर, 13 मार्च। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की एसबी-89 योजना के तहत अनुसूचित श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चयनित किसानों के ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन अब 16 मार्च की बजाय 20 मार्च 2026 को किया जाएगा। यह सत्यापन सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, झज्जर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 27 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान अनुसूचित श्रेणी के कुल 222 किसानों ने आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों में से 20 फरवरी को ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से 11 किसानों का चयन किया गया। चयनित किसानों द्वारा अपने-अपने ट्रैक्टर के बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब निदेशालय के निर्देशानुसार इन चयनित किसानों के ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद योजना के तहत अनुदान जारी करने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपायुक्त ने चयनित किसानों से निर्धारित तिथि व समय पर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, झज्जर में अपने ट्रैक्टर सहित उपस्थित होने का आह्वान किया है, ताकि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जा सके।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश

बार कौंसिल चुनाव को लेकर झज्जर में दो और बहादुरगढ़ में एक मतदान केंद्र पर होगा मतदान

झज्जर, 13 मार्च। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को मुख्य सचिव कार्यालय ने वीसी के माध्यम से सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

वीसी उपरांत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उक्त चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि बैठक में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा के चुनाव 18 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। चुनाव के लिए जिला न्यायालय परिसर झज्जर में दो तथा बहादुरगढ़ न्यायालय परिसर में एक सहित कुल तीन मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों, बैलेट बॉक्स और चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। साथ ही 16 मार्च को चुनाव सामग्री चंडीगढ़ से लाने तथा मतदान के बाद 18 मार्च को सील्ड बैलेट बॉक्स पुनः चंडीगढ़ में जमा करवाने के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को चुनाव के दिन दोनों परिसरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़) को निर्देश दिए गए कि मतदान से एक दिन पूर्व दोनों न्यायालय परिसरों में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और चुनाव से जुड़ी प्रत्येक जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं।

इस अवसर पर नोडल अधिकारी एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, सीटीएम नमिता कुमारी, एसीपी सुरेंद्र कंबोज, डीआरओ मनबीर सिंह, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, नायब तहसीलदार निर्वाचन कुलदीप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत आज (14 मार्च को)
आपसी समझौते से होंगे लंबित मामलों के त्वरित निपटारे : सीजेएम विशाल

झज्जर, 13 मार्च। जिला झज्जर न्यायालय परिसर में (आज शनिवार) 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र समाधान तक पहुंचाना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके तथा न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विभाग से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिल तथा राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम विशाल ने आमजन से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराकर न्यायिक प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने में सहयोग करें।

स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाएं विभाग : डीसी

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के सत्यापन व प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ाई गई

झज्जर, 13 मार्च। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

उपायुक्त ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अनुसूचित जाति तथा ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में सरल एवं पारदर्शी तरीके से जानकारी दें।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 1787 तथा पिछड़ा वर्ग के 1155 विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर की जानी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाए।

उपायुक्त ने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (एससी) तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी) के अंतर्गत आवेदन सत्यापन व प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ाई गई है। इसके अनुसार संस्थान स्तर (एल 1) पर सत्यापन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026, जिला स्तर (एल 2) पर 17 अप्रैल 2026, राज्य स्तर (एक 3) पर स्वीकृति की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 तथा पीएफएमएस के माध्यम से वैलिडेशन व छात्रवृत्ति वितरण की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि पात्र विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। विद्यार्थियों को दस्तावेज अपलोड करने, बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही भरने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि किसी भी पात्र विद्यार्थी का आवेदन तकनीकी कारणों से निरस्त न हो।

उपायुक्त ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी इस कार्य को गंभीरता के साथ मिशन मोड में पूरा करें और सुनिश्चित करें कि पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो।

झारखण्ड मुक्ती मोर्चा बाघमारा प्रखण्ड अध्यक्ष सह धनबाद जिला वारिय उपाध्यक्ष हारेन्द्र चौहान सम्मानित

झरिया, बनियाहीर अवासीये कार्यालय मे झारखण्ड मानव कल्याण सोसाईटी के अध्यक्ष रामा शीष चौहान जी के नेतृत्व मे झारखण्ड मुक्ती मोर्चा बाघमारा प्रखण्ड अध्यक्ष सह धनबाद जिला वारिय उपाध्यक्ष हारेन्द्र चौहान जी को वस्त्र और प्रशस्ति पत्र दे कर सम्मानीत करते हुये, श्री चौहान ने कहा धनबाद नगर निगम के चुनाव मे अपने अनुज अरूण चौहान को वार्ड संख्या 7 (सात) से 2398, दो हजार तीन सौ, अण्ठानबे, मतो से बिजय दिलाने मे अहम भूमीका निभाये है। अब अपने अनुज को धनबाद नगर निगम के उप मेयर मे जित दिलाने के लिये, धनबाद के नव निर्वाचीत मेयर भाई संजीब सिंह (पुर्व विधायक) जी से अपना 28 अठाईस वार्ड पार्षाद के साथ सम्पर्क मे है । अनेवाला दिनांक 18 तारीख का ईन्तजार है अपना बहुमत सिध करेंगे और अरूण कुमार चौहान जी को धनबाद के उप मेयर का पद दिला कर एक नया ईतिहास बनायेंगे । यैसा मुझे अपने सुत्रो से पता चला है। भाई हरेन्द्र जी का समाजीक क्षेत्रो मे अहम योगदान रहा वंचित समाज के महिलाओ के उत्थान के लिये झारखण्ड सरकार से मांग उठाते रहते है । जिसका परिणाम है आज पुरे धनबाद के नगर निगम के चुनाव मे सबसे अधिक मतो से जिताने मे सफल हुये है। जाते, जाते श्री चौहान ने वचन दिये है अगर मै अपना अनुज के धनबाद के उप मेयर बनवाने मे सफल हो जाते है तो झारखण्ड मानव कल्याण सोसाईटी के माध्यम से वंचित समाज की महिलाये जिस अत्म विश्वास के साथ मुझे साथ दिये है, मै सभी को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थीक अजादी दिलाने का काम कराउंगा। सम्मान समारोह मे उपस्थीत, अजय कुमार सिन्हा, क्षत्रपाल चौहान, संजय चौहान, संतोष चौहान, राज कुमार चौहान, अरूण नोनिया, ।

टिप्पणी एवं प्रारूपण प्रतियोगिता में ड्रेसर श्री अवतार सिंह को राज्य स्तर पर तृतीय पुरस्कार।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी निबंध, सुलेख, टिप्पण-प्रारूपण, आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) प्रतियोगिता 2025 - 2026

प्रमाणित किया जाता है कि .... विभाग/कार्यालय के श्री/श्रीमती/सुश्री अवतार सिंह पदनाम ड्रेसर ने कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी निबंध, सुलेख, टिप्पण-प्रारूपण, आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) प्रतियोगिता 2025 - 2026 के वर्ग क/ख/ग/घ में भाग लिया और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया । इनका प्रयास सराहनीय रहा।

अनुभाग अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग) — उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा हिंदी निबंध, सुलेख, टिप्पणी-प्रारूपण, आशुलिपि एवं हिंदी टाइप (मौखिक/लिखित) प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह का आयोजन मुख्य सभागार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार में दिनांक 13 मार्च 2026 को किया गया।

इस अवसर पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पूर्वी जिला के ड्रेसर श्री अवतार सिंह को टिप्पणी एवं प्रारूपण (वर्ग–घ) में राज्य स्तर पर तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

पुरस्कार स्वरूप उन्हें ₹2000 की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक शील्ड तथा प्रशासनिक शब्दावली पुस्तक प्रदान की गई। यह पुरस्कार श्री नागेंद्र एस., जॉइंट सेक्रेटरी, श्री लेखराज, एडिशनल सेक्रेटरी तथा श्री अजय सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी महोदय द्वारा अपने करकमलों से प्रदान किया गया।

इस उपलब्धि पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ड्रेसर श्री अवतार सिंह की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

सरोजिनी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेता अंशिता सोनू मिश्रा ने कराया सुंदरकांड पाठ : उमड़ी नेताओं की भीड़

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां समाजसेविका सरोजनी मिश्रा की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ में भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का भी जमावड़ा रहा। गुजैनी स्थित निज निवास में भारतीय जनता पार्टी के चर्चित युवा नेताओं में से एक देवेंद्र मिश्रा सोनू द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक अजय कपूर, दक्षिण भाजपा के अध्यक्ष शिवराम सिंह, भाजपा नेता मनोज सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा, पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष वीर सेन यादव, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता, बाबू सिंह चंदेल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भाजपा नेता देवेंद्र मिश्रा सोनू और अंशिता मिश्रा की अगुवाई में सुंदरकांड के पाठ का समापन भक्ति भावपूर्ण भजनों के साथ हुआ जिसके बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।

हर किसी के सुख दुख में सदैव खड़े होने वाले और सहयोग के मामले में व्यवहार कुशलता के पर्याय वार्ड 55 गुजैनी की पूर्व पार्षद प्रत्याशी भाजपा नेता अंशिता देवेन्द्र मिश्रा सोनू के बारे में यह भी अवगत कराते चलें कि समस्याओं के खिलाफ विकास के मामले में भी उन्होंने जिस तरह से सफलता पूर्वक कदम बढ़ाए हैं, उससे मतदाताओं के बीच पैदा उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक बार फिर चुनाव जीतने जैसी क्षमता के नजदीक भी खड़ा कर दिया है। वहीं कानपुर दक्षिण में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्रा सोनू की भी गिनती जुझारू, व्यवहार कुशल और तेजतर्रार युवा नेताओं में की जाती है। खास बात यह भी कि अंशिता देवेंद्र मिश्रा सोनू की लोकप्रियता का यह प्रभाव केवल भाजपा तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य सभी राजनीतिक दलों के लोग भी उसके दायरे से बाहर नहीं है, जिसकी मजबूत बानगी उनकी मां सरोजिनी मिश्रा की तृतीय पूर्ण तिथि

पर आयोजित सुंदरकांड पाठ के भव्य अनुष्ठान में भी दिखाई पड़ी। कुल मिलाकर हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के मतदाताओं में लगातार मजबूत होती उनकी पकड़ विरोधियों के लिए गंभीर चिंता का कारण भी बताई जाती है। इस अवसर पर आगतों का स्वागत शैलेंद्र मिश्रा आदि ने भी किया।

आज और कल 24 केंद्रों पर होगी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर गोरखपुर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जनपद के 24 परीक्षा केंद्रों पर 14 और 15 मार्च को यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दोनों दिनों में दो-दो पालियों में संपन्न होगी। प्रत्येक पाली में लगभग 9000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, इस प्रकार दो दिनों में कुल 36 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह बनाए रखी जा सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में एडीजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों की संयुक्त रूप से ब्रीफिंग भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी लगातार निगरानी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगे, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था महिला पदाधिकारियों को पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया

परिवहन विशेष न्यूज

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू मार्गदर्शक पूर्णिमा रजवार के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्था महिला पदाधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के द्वारा अंगवस्त्र पहनाकर माँ दुर्गा जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया

इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू मार्गदर्शक पूर्णिमा रजवार ने संयुक्त रूप से कहा की संस्था महिला पदाधिकारी संस्था के माध्यम से लगातार निस्वार्थ भाव से हमेशा धर्महित समाहित भारतहित में कार्य करती रहती है इसलिए आज महिला दिवस के अवसर पर संस्था महिला पदाधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के द्वारा अंगवस्त्र पहनाकर माँ दुर्गा जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया है इसीलिए आज जरुरत है की लड़कियों और महिलाओं को स्वयं आगे बढ़कर अपने अधिकारों को पहचानकर सबसे पहले उन्हें खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर उन्हें ये बताना है कि उनके अन्दर भी असीम क्षमतायें है उनका वो प्रयोग कर हर चुनौतियों का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है क्योंकि भारतीय सेना में मातृशक्ति की अधिक भागीदारी जैसी लाखों लड़कियां और महिलाएं जिन्होंने अपने कार्यों से अपनी शक्ति का परिचय दिया इसलिए भारतीय नारी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा जिससे भारतीय नारी को जब भी कोई मौका मिलेगा तो वह अपनी प्रतिभा को निखार कर भारत देश को प्रगति उन्नति की नई बुलंदियों में पहुँचाकर भारत देश को विश्व गुरु बनाने में भारतीय नारी का निश्चित रूप अहम योगदान रहेगा

इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था मार्गदर्शक पूर्णिमा रजवार अलका टंडन पूजा जोशी सुनीता तिवारी शांति रावत खुशी नागर ममता खत्री माही बिष्ट रेनू कांडपाल जया जोशी तारा टकवाल को सम्मानित किया(

स्वामी लीलाशाह जयंती पर सिंधी पंचायत ने निकाली संकीर्तन यात्रा

नगर में गूंजे लीलाशाह–शहंशाह के जयकारे

मथुरा। सिंधी समुदाय के मार्गदर्शक आध्यात्मिक गुरू स्वामी लीलाशाह महाराज की 146 वीं जयंती शुक्रवार को उत्साहपूर्वक मनाई गई, इस मौके पर सिंधी जनरल पंचायत द्वारा नगर में एक संकीर्तन यात्रा निकाली गई।

मीडिया प्रभारी किशोर इसरानी ने बताया कि बहादुर पुरा स्थित सिंधी धर्मशाला में स्वामी लीलाशाह की छवि की झांकी फूलों से सजाकर दीप प्रज्जवलित कर पूजा-अर्चना की गई। पंडित मोहन लाल महाराज ने आरती कराई। तदोपरांत झांकी के साथ एक संकीर्तन यात्रा शुरू हुई, जिसमें सिंधी समाज के सैंकड़ों नर-नारी और बच्चे उत्साह के साथ शहंशाह-लीलाशाह और बोलेगा लीलाशाह उसका होगा बेड़ापार तथा हरे रामा-हरे कृष्णा की धुनि गाते हुए चल रहे थे।

रास्ते में जगह-जगह पर पुष्प वर्षा कर संकीर्तन यात्रा का स्वागत किया गया और प्रसाद भी बांटा जा रहा था। जवाहर हाट, होली गेट, छत्ता बाजार, डोरी बाजार, चौक बाजार, भरतपुर गेट, कोतवाली रोड से होते हुए संकीर्तन यात्रा अपने उद्गमस्थल सिंधी धर्मशाला पहुंची, जहां सिंधी कलाकार चंद्रकांत लालवानी ने गीत - भजन - कीर्तन द्वारा स्वामी लीलाशाह जी महाराज का गुणगान किया।

सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष नारायण दास लखवानी ने स्वामी लीलाशाह जी का संदेश सुनाते हुए कहा कि सभी जीव सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अपने कर्त्तव्य से विमुख होकर मन इन्द्रियों पर संयम न रखकर, विकारों के दास बनकर स्वार्थ, कामना और वासनाओं के प्रवाह में बहकर सुख शांति और आनंद के रस लेने से विमुख रहते हैं। इसलिए स्वामी से आत्मज्ञान द्वारा प्रभु से जुड़े रहने की ओर इशारा करते थे।

सिंधी उत्सव के मुख्य संयोजक रामचंद्र खत्री ने बताया कि स्वामी लीलाशाह ने भारतीय संस्कृति के पुनरोत्थान तथा सोई हुई आध्यात्मिकता को जगाने के लिये बेहतर कार्य किये उन्होंने जहां समाज को आध्यात्मिक संदेश दिया वहीं समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने हेतु सबको जागृत किया। इस मौके पर सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष नारायणदास लखवानी, मुख्य संयोजक रामचंद्र खत्री, महामंत्री बसंतलाल मंगलानी, तुलसीदास गंगवानी, जीवतराम चन्दानी, डा. प्रदीप उकरानी, कन्हैयालाल भाईजी, गुरुमुखदास गंगवानी, सुरेशचन्द मेठवानी, जितेन्द्र लालवानी, भगवान दास मंगवानी बेबूभाई, रमेश नाथानी, जितेन्द्र भाटिया, पीताम्बरदास रोहेरा, झामनदास नाथानी, चन्दनलाल आडवानी, सुदामा खत्री, हरीश चावला, अशोक अंदानी, गिरधारीलाल नाथानी, महेश घावरी, दौलतराम खत्री कन्हैयालाल खत्री एडवोकेट, सुरेश मनसुखानी, विष्णु हेमानी, अनिल मंगलानी, मुकेश मिर्चु कोतकवानी, तरुण लखवानी, मन्नू मंगलानी, लक्ष्मणदास वाधवानी, अशोक डाबरा, अमित आसवानी, राजेश खत्री, योगेश खत्री, मीडिया सहायक विकास खत्री आदि सहित तमाम महिलाओं ने भागीदारी की।

सिंधी युवाओं द्वारा 16 मार्च को निकाली जाएगी वाहन रैली

सिंधी संस्कृति और चेटीचंड पर्व को ध्यान में रखते हुए सिंधी नवयुवक मंडल द्वारा युवा अध्यक्ष तरूण लखवानी, उपाध्यक्ष मनोहर मंगलानी, महामंत्री तरूण नाजवानी के नेतृत्व में गोवर्धन चौराहे से सुबह 8 बजे वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसका समापन डीग गेट, होली गेट होते हुए बहादुर पुरा स्थित स्वामी लीलाशाह सिंधी धर्मशाला में होगा।

आंगनबाड़ी सहायिका के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। जनपद में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत विकास भवन सभागार में आवेदकों के प्रपत्रों का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। यह सत्यापन प्रक्रिया जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने आवेदन से संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो रहे हैं।

बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्राप्त होने के बाद अब पात्रता की जांच के लिए विकास भवन सभागार में प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों से उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक शासन द्वारा निर्धारित मानकों और पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।

सत्यापन प्रक्रिया के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रत्येक आवेदक के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान उनके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र और प्रतियों से किया जा रहा है। इस दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर अभ्यर्थियों को आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है।जिला कार्यक्रम अधिकारि अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका का पद महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। ऐसे में इन पदों पर योग्य और पात्र अभ्यर्थियों का चयन होना आवश्यक है, ताकि केंद्रों का संचालन सुचारु रूप से हो सके और लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

स्वामी विवेकानंद महाराज को दिया गुरु पूजन महोत्सव का निमंत्रण

मन है इंद्रियों का राजा और हम हैं मन के राजा : स्वामी विवेकानंद महाराज

हरियाणा हिसार : राजेश सलूजा

सोहम मंडल के संरक्षक स्वामी विवेकानंद महाराज इन दिनों हिसार प्रवास पर हैं। इस दौरान उकलाना की संगत ने वहां पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। संगत ने उन्हें जुलाई माह में उकलाना में आयोजित होने वाले गुरु पूजन महोत्सव में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की।

स्वामी विवेकानंद महाराज ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि मन इंद्रियों का राजा है और हम मन के राजा हैं, इसलिए मन और इंद्रियों को अपने वश में रखकर उनका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम मन से पूछते हैं कि अपनी इच्छाओं से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो वह स्वयं स्वीकार करता है कि क्षणिक सुख से स्थायी शांति नहीं मिलती। सत्य का मार्ग हमें परमात्मा के नाम के सिमरन और भक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जब व्यक्ति परमात्मा के नाम में ध्यान लगा लेता है, तो उसे शरीर की अनुभूतियां भी महसूस नहीं होतीं। चाहे शरीर पर कीड़े-मकोड़े ही क्यों न चल रहे हों, लेकिन जब ध्यान परमात्मा में लगा होता है तो तन और मन का आभास नहीं रहता। उस अवस्था में साधक परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इस अवसर पर निरंजन दहमनिया, वासुदेव शर्मा, राकेश गोयल, रामनिवास मित्तल, सतपाल मित्तल, रघुवीर गर्ग, बजरंग बंसल, बजरंग मित्तल, हनुमान गोयल, उर्मिल शर्मा, मीनू गोयल, अमरपति मित्तल, रमेश गोयल, तरसेम बरवाला, नरेंद्र गर्ग, अमर गोयल, पैक्स के अध्यक्ष जगदीश असीजा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

गणित अपने इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहा है

डॉ. परविंदर सिंह, अध्यक्ष, वर्ल्ड बौद्ध फेडरेशन ट्रस्ट

गणितज्ञों की मदद करने वाले कंप्यूटर का विचार पूरी तरह से नया नहीं है। 1970 के दशक में ही कंप्यूटर का उपयोग जटिल प्रमाणों को सत्यापित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें मानव द्वारा मैन्युअल रूप से जांचना अत्यंत कठिन होता। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण चार रंग प्रमेय का प्रमाण है, जिसके लिए व्यापक कंप्यूटर गणना की आवश्यकता थी....

गणित को लंबे समय से मानव तर्क का सबसे शुद्ध रूप माना जाता रहा है। हजारों वर्षों तक, गणितीय खोजें लगभग पूरी तरह से मानव बुद्धि, अंतर्ज्ञान और तार्किक सोच पर निर्भर करती थीं। प्राचीन ज्यामिति से लेकर आधुनिक बीजगणित और कैलकुलस तक, गणितज्ञ सिद्धांतों और प्रमाणों को विकसित करने के लिए धैर्यपूर्वक काम करते थे। हालाँकि, आज गणित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर-सहायता प्राप्त तर्क के तीव्र विकास के कारण अपने इतिहास में सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक का अनुभव कर रहा है।

परंपरागत रूप से, किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए लम्बे समय तक गणना, रचनात्मकता और कठोर प्रमाण लेखन की आवश्यकता होती है। गणितज्ञ अक्सर किसी प्रमाण के प्रत्येक चरण को सत्यापित करने में वर्षों लगाते हैं, ताकि अन्य विद्वान उसकी सहीता की जांच कर सकें।

आधुनिक युग में, कंप्यूटर और विशेष सॉफ्टवेयर ने इस प्रक्रिया में सहायता करना शुरू कर दिया है। प्रूफ असिस्टेंट के नाम से जानी जाने वाली प्रणालियां शोधकर्ताओं को औपचारिक भाषा में गणितीय प्रमाण लिखने की अनुमति देती हैं, ताकि कंप्यूटर प्रत्येक तार्किक चरण का स्वचालित रूप से सत्यापन कर सके। लीन (प्रूफ असिस्टेंट) ऐसी ही एक प्रणाली है जो गणितज्ञों को अत्यधिक परिशुद्धता के साथ प्रूफ को औपचारिक बनाने और जांचने में मदद करती है।

गणितज्ञों की मदद करने वाले कंप्यूटर का विचार पूरी तरह से नया नहीं है। 1970 के दशक में ही कंप्यूटर का उपयोग जटिल प्रमाणों को सत्यापित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें मानव द्वारा मैन्युअल रूप से जांचना अत्यंत कठिन होता। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण चार रंग प्रमेय का प्रमाण है, जिसके लिए व्यापक कंप्यूटर गणना की आवश्यकता थी ताकि यह पुष्टि हो सके कि किसी भी मानचित्र को केवल चार रंगों से रंगा जा सकता है, जबकि उसके पड़ोसी क्षेत्र समान रंग के नहीं होते। इस तरह के कंप्यूटर-सहायता वाले प्रमाणों ने गणित में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया।

वर्तमान परिवर्तन को और भी अधिक उल्लेखनीय बनाने वाली बात है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय। एआई प्रणालियां अब जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने, प्रमाण उत्पन्न करने और यहां तक कि नए अनुमान सुझाने में सक्षम हैं। कुछ आधुनिक एआई उपकरण उन्नत प्रतिस्पर्धा-स्तरीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और गणितज्ञों को अनुसंधान के नए क्षेत्रों की खोज में सहायता कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्रौद्योगिकियां आने वाले दशकों में गणितीय खोज को नाटकीय रूप से तेज कर देंगी।

एक और बड़ा बदलाव गणित का औपचारिकीकरण है। गणितज्ञ पारंपरिक गणितीय ज्ञान को तेजी से डिजिटल रूप में परिवर्तित कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर उसका सत्यापन और विश्लेषण कर सकें। प्रूफ असिस्टेंट्स का उपयोग करने वाली परियोजनाओं का उद्देश्य औपचारिक रूप से सत्यापित गणित की विशाल लाइब्रेरी बनाना है। मिज़र जैसी प्रणालियों को विशेष रूप से ऐसी भाषा में गणितीय परिभाषाएं और प्रमाण लिखने के लिए विकसित किया गया था, जिसे कंप्यूटर स्वचालित रूप से जांच सकते हैं। परिणामस्वरूप, गणितज्ञों की भूमिका विकसित हो सकती है। विस्तृत गणनाओं की जांच करने में अपना अधिकांश समय खर्च करने के बजाय, गणितज्ञ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने, नए सिद्धांतों का डिजाइन बनाने और गणितीय विचारों की खोज में एआई प्रणालियों का मार्गदर्शन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस नए वातावरण में, मानव रचनात्मकता और मशीन परिशुद्धता ज्ञान की सीमाओं को विस्तारित करने के लिए एक साथ काम करेंगी। इसलिए गणित का भविष्य मनुष्यों और बुद्धिमान मशीनों के बीच सहयोग में निहित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणितज्ञों की जगह नहीं लेगी, लेकिन यह गणितीय अनुसंधान के तरीके को बदल देगी। प्रमाणों को सत्यापित करने और संभावनाओं का पता लगाने के लिए आवश्यक समय को कम करके, ये प्रौद्योगिकियां तेजी से खोज और गहरी समझ की ओर ले जा सकती हैं।

निष्कर्षतः, गणित एक ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजर रहा है। कंप्यूटर, प्रूफ असिस्टेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण गणितीय ज्ञान के निर्माण और सत्यापन के तरीके को नया रूप दे रहा है। जिस प्रकार कैलकुलस के आविष्कार ने सदियों पहले विज्ञान में क्रांति ला दी थी, उसी प्रकार गणित में डिजिटल क्रांति से उन खोजों का द्वार खुल सकता है जो कभी मानव की पहुंच से परे थीं।

सपने और संघर्ष

डॉ विजय गर्ग

मनुष्य के जीवन में सपनों का बहुत महत्व होता है। सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता; उन्हें साकार करने के लिए संघर्ष, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। वास्तव में, सपने और संघर्ष जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक-दूसरे के पूरक हैं।

सपनों की शक्ति

हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने या हासिल करने का सपना देखता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक या कलाकार। सपने हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं और हमें अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने का अवसर देते हैं।

सपने जीवन में आशा का दीपक होते हैं। वे हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और यह विश्वास जगाते हैं कि बेहतर भविष्य संभव है।

संघर्ष का महत्व

सपनों को साकार करने की राह कभी आसान नहीं होती। इस रास्ते में अनेक चुनौतियाँ, असफलताएँ और बाधाएँ आती हैं। इन्हीं कठिनाइयों से जूझने की प्रक्रिया को संघर्ष कहा जाता है।

संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। जो लोग कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं, वे अक्सर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग संघर्ष करते रहते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं।

इतिहास से प्रेरणा

दुनिया के अनेक महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे लंबे संघर्ष की कहानी छिपी होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे. अब्दुल कलाम का जीवन इसका प्रेरणादायक उदाहरण है। साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को मेहनत और लगन के बल पर साकार किया और देश के महान वैज्ञानिकों में स्थान प्राप्त किया।

युवाओं के लिए संदेश

आज के युवाओं के सामने अनेक अवसर हैं, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। ऐसे समय में युवाओं को अपने सपनों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें सफलता के और करीब ले जाता है।

निष्कर्ष

सपने जीवन को दिशा देते हैं और संघर्ष उन्हें साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि सपनों के साथ मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच जुड़ जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसलिए जीवन में बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहिए। यही संघर्ष अंततः सफलता और संतोष की ओर ले जाता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

नदी कार्रवाई दिवस 14 मार्च

शस्य श्यामला धरा का आधार हैं सदानीरा सरिताएं

प्रमोद दीक्षित मलय

नदियां युगों-युगों से पृथ्वी पर बह रही हैं। धरती पर सुंदर चित्र रचती नदियां आनंद का उत्सव हैं। जीवन में प्राणों का संचार करती नदियों की कल-कल मनोहर ध्वनि अशांत चित्त और अधीर मन को शांति और धैर्य की समिधा प्रदान करती हैं। नदियां धरा की जीवन रेखाएं हैं, जो सुधा सम निर्मल शीतल जल से मानव तन-मन को संतृप्ति दे सुख का प्रसाद वितरित करती हैं। धरती की खुशहाली और बहुरंगी जीवन शुभ सरिताओं की देन है। निश्चित रूप से लोक जीवन में नदियों का महत्व एवं उपयोगिता निर्विवाद सर्वस्वीकार्य है। नदियां न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पशु-पक्षियों एवं पेड़-पौधों के पोषण एवं विकास के लिए आवश्यक है। समस्त प्राणिजगत का जीवन यापन धरती पर निर्भर है और धरती की हरीतिमा नदियों पर आश्रित हैं। यदि नदियां न हों तो जल बिना धरती की तरलता छिन जाएगी, उर्वरता का ह्रास होगा, न जंगल बचेंगे और न ही जीवन। तब शुष्क बंजर धरा अनुपयोगी और निरर्थक हो जाएगी।

धरती को स्वस्थ, सुवासित, सुफला और समृद्ध बनाती हैं नदियां। कह सकते हैं नदियां वसुधा का श्रृंगार हैं। सदानीरा सरिताएं धरती की देह को जल से तृप्त कर जीवों के लिए फसलों का उपहार भेंट करती हैं। वस्तुतः नदियां पृथ्वी की धमनियां हैं। सतत प्रवहमान नदियां लोकजीवन में खुशियां, उपलब्धियां और समृद्धि का द्वार खोलती हैं। नदियों का संरक्षण अत्यावश्यक है ताकि धरती पर जीवन नर्तन करता रहे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का आयोजन कर जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है।

किसी देश के निवासियों की सोच, दृष्टि और भावी योजना को समझना हो तो वहां की नदियों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। नदियों का स्वस्थ और सदा जल प्रवाही होना संकेत करता है कि वहां का लोक जीवन का नदियों से आत्मीय एवं मधुर सम्बन्ध है, और वह समाज भविष्य के लिए स्वस्थ नदियों को धरोहर के रूप में भावी पीढ़ियों को सौंपने की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य से परिचित हैं। और यदि किसी देश की नदियां प्रदूषित हैं, नगरीय सीवेज तथा औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट संवहन का माध्यम बन अपना नैसर्गिक रूप खोकर गंदा नाला बनती जा रही हैं, तो कहा जा सकता है कि वहां का समाज जल के महत्व से अनभिज्ञ, आत्मकेंद्रित और निरा स्वार्थी है जो भोगवादी भावभूमि पर भावी संकट से अनजान केवल वर्तमान जी रहा है।

अगर वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो हमें उक्त दोनों प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं।अपवाद स्वरूप कुछेक नदियों को छोड़ आज दुनिया भर की नदियां संकट में हैं। न केवल अनियोजित खनन, तटबंधों एवं प्रवाह मार्ग पर अवैध कब्जे एवं निर्माण, धार्मिक गतिविधियों से उपजे कूड़े का बिखराव अपितु विनाशकारी बड़े बांधों के निर्माण से नदियां का सहज जीवन बाधित हुआ है। दैनंदिन कार्य-व्यवहार से उपजा कूड़ा-करकट, उद्योगों का अपशिष्ट, अस्पतालों के रोगियों की प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी-रुई, इंजेक्शन आदि सामग्री और नगरों के बिना शोधित सीवेज का लगातार नदियों में गिरना तथा मानव द्वारा नदियों की अनदेखी के चलते नदियां आसन्नमरण हैं। नदियों की सांसें थम रही हैं, हर वर्ष कहीं न कहीं कोई नदी अपना स्वरूप खो नाले में बदल मर रही है। हम देखते-सुनते भी अनजान बने हुए जीये जा रहे हैं।

नदियां स्वस्थ हों, हंसे-मुसकुरायें, धरती पर उनका मोहक कलरव संगीत गूंजता रहे, जल-जीवों की अठखेलियां नवल चित्र रचती रहें, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। नदी कार्रवाई दिवस मनाने का उद्देश्य आमजन को नदियों के महत्व एवं संरक्षण, प्रदूषण से नदियों को बचाने, नदी जल परियोजना के हानिकारक बड़े बांधों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, पशु-पक्षियों एवं मानव को मीठे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रत्येक व्यक्ति को नदी-प्रेमी बनाने हेतु प्रयास करना है। बड़े बांधों से होने वाले नुकसानों, पारिस्थितिकी तंत्र की हानि एवं खाद्य श्रंखला टूटने, नदियों के सतत प्रवाह बाधित होने से लोकजीवन में पड़ने वाले असर से बचाने हेतु दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधियों ने 1997 में ब्राजील में बैठक कर नदियों के संरक्षण हेतु कार्रवाई करने पर बल दिया तथा प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नदी कार्रवाई दिवस मनाकर जन जागरण करने का संकल्प लिया। तब 14 मार्च, 1998 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला आयोजन किया गया।

वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में इस अवसर पर थीम आधारित छोटे-बड़े हजारों आयोजन करके नदियों को बचाने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के साथ कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025 में थीम थी - हमारी नदियां, हमारा भविष्य, जबकि 2026 में आयोजन हेतु 'नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें' केंद्रीय विषय चुना गया है, जो न केवल प्रासंगिक और समीचीन बल्कि नदियों के संरक्षण, शुचिता एवं सतत प्रवाह को बनाये रखने के लिए प्रेरित करने वाला भी है। उल्लेखनीय है कि नदियां मीठे जल का प्राकृतिक स्रोत है जो धरती पर उपलब्ध कुल जल का 1 प्रतिशत है। नदियां हिमनदों, पहाड़ों और बड़ी झीलों से निकल सागरों में मिलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद ग्लेसियर अधिक पिघल कर लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं जो भयावह संकट का संकेतक है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म एवं विकास नदियों के किनारों पर हुआ। नदियों ने झीलों, घाटियों, उपत्यकाओं एवं आर्द्रभूमियों का निर्माण किया। धरती के फेफड़े जंगलों को विकसित किया। सर्वाधिक नदियों वाली भूमि बांग्लादेश में नारा दिया जाता है- नदियों को बचाओ, देश को बचाओ, जो उनके नदी प्रेम का परिचायक है।

भारत नदियों से समृद्ध है, यहां नदियां वंदनीय एवं पूजनीय हैं। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित गंगा को मातृवत सम्मान दिया जाता है। देश की सभी नदियां पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित हो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम को बहते हुए अरब सागर में मिलती हैं। गण्डक नदी में भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम और केन नदी, बांदा में शजर पत्थर पाये जाते हैं। शजर पत्थरों के अंदर पशु-पक्षियों एवं वृक्षों की आकृतियां उभरी होती हैं। नदियों के तटों पर मेलों का आयोजन होता है। नदियों को साफ-स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे, नदी उत्सव और स्वच्छ भारत अभियान संचालित हैं। नदी कार्रवाई दिवस के अवसर पर जागरूकता हेतु हम नदियों पर आधारित लघु वृत्तचित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यालयों में वाद-विवाद, भाषण, एकांकी, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। नदी तटों पर सम्मान समारोह आयोजित कर नदियों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित कर प्रेरक वातावरण बना सकते हैं। मुझे लगता है, नदियों की खुशहाली के लिए युवाओं की सहभागिता आवश्यक है। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण करते हुए हम नदियों को जीवन दें क्योंकि नदियों से हम और हमारी दुनिया बचेगी।

कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश(पीरियड लीव) को अनिवार्य बनाने की याचिका खारिज -समानता, अवसर और व्यावहारिकता के बीच संतुलन का प्रश्न-एक समग्र विश्लेषण

सरकार क़ो व्यापक चर्चा के बाद ऐसी नीति तैयार की जरूरत, जो महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान व उनके रोजगार अवसरों को सुरक्षित रखे

नियोक्ताओं को हर महीने अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी तो संभवत :वे महिलाओं क़ी नियुक्त करने से बचें- सटीक दृष्टिकोण -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण विश्व राजनीति,सामाजिक नीति और आर्थिक विकास का केंद्रीय विषय बन चुका है। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यह स्वीकार किया जा चुका है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी,महिलाएं समानअवसरों सम्मान और संसाधनों तक बराबरी से पहुँच प्राप्त करे। भारत भी इसी वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए महिलाओं के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ चला रहा है।भारत सरकार द्वारा संचालित कई कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,प्रधानमंत्रीउज्ज्वला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। इन योजनाओं ने न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत किया है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि महिलाएं केवल समाज की आधी आबादी ही नहीं हैं, बल्कि वे मां,पत्नी,बहन,बेटी और परिवार की आधारशिला भी होती हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि कई बार कुछ ऐसी नीतिगत मांगें भी सामने आती हैं जिनका उद्देश्य भले ही महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य हो,लेकिन उनके सामाजिक और आर्थिक परिणाम जटिल हो सकते हैं ऐसा ही एक मुद्दा हाल ही में सामने आया जब कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने 13 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के प्रावधान को कानूनन अनिवार्य करना महिलाओं के रोजगार अवसरों को प्रभावित कर सकता है।यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों, समानता और रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है।

साथियों बात अगर हम मासिक धर्म अवकाश की मांगः पृष्ठभूमि और तर्क को समझने की करें तो मासिक धर्म महिलाओं केजीवन का एक स्वाभाविक जैविक चक्र है। हर महीने आने वाला यह शारीरिक परिवर्तन कई महिलाओं के लिए सामान्य होता है,लेकिन कईमहिलाओं को इस दौरान तीव्र दर्द कमजोरी हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।यही कारण है कि कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से यह मांग उठाई है कि कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को इस दौरान विशेष अवकाश दिया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि भारत में गर्भावस्था और प्रसूति के लिए छुट्टी का प्रावधान तो मौजूद है जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लेकिन मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक तकलीफों को लेकर कोई विशेष कानूनी व्यवस्था नहीं है।याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यदि महिलाओं को हर महीने एक या दो दिन का पीरियड लीव मिल जाए तो इससे उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होगा। उनका यह भी कहना था कि कुछ राज्य सरकारों और निजी कंपनियों ने स्वेच्छा से ऐसे प्रावधान लागू किए हैं,इसलिए इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

साथियों बात अगर हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क़े दृष्टिकोण क़ो समझने की करें तो व्यावहारिकता बनाम भावनात्मकता, याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे को केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यावहारिक औरआर्थिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर जोर दिया अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी कंपनी या संस्थान द्वारा स्वेच्छा से महिलाओं को पीरियड लीव दिया जाता है तो यह स्वागत योग्य है।लेकिन जब इसे कानून के रूप में अनिवार्य किया जाएगा,तो इसके कई अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि नियोक्ताओं को हर महीने अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी तो संभव है कि वे महिलाओं को नियुक्त करने से बचें।अदालत की यह टिप्पणी भारतीय श्रम बाजार की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। भारत में अभी भी बड़ी संख्या में निजी कंपनियां लागत और उत्पादकता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती हैं। ऐसे में यदि महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अतिरिक्त छुट्टियाँ देनी पड़ें, तो कई नियोक्ता पुरुष कर्मचारियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। साथियों बात अगर हम याचिका खारिज करने के कर्म को समझने की करें तो रोजगार अवसरों पर संभावित प्रभाव, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि महिलाओं को कमजोर बताने वाली मानसिकता सेबचना चाहिए। अदालत के अनुसार यदि कानून यह संदेश देता है कि महिलाएं हर महीने काम करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे कार्यस्थल पर उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है।उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी दो उम्मीदवारों में से एक का चयन कर रही हो एक पुरुष और एक महिला तो नियोक्ता यह सोच सकता है कि महिला कर्मचारी को अतिरिक्त छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी, जिससे उत्पादकता प्रभावित होगी।ऐसी स्थिति में महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह विडंबना होगी कि महिलाओं के हित में बनाई गई नीति ही उनके लिए बाधा बन जाए।

साथियों बात अगर हम महिला सशक्तिकरण और समानता की वास्तविक चुनौती को समझने की करें तो महिला सशक्तिकरण केवल सुविधाएँ देने से नहीं बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करने से आता है। यदि कोई नीति महिलाओं को विशेष सुविधा देती है लेकिन उसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, तो वह नीति अंततः उनके हितों के विपरीत हो सकती है। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करते हुए उनके रोजगार अवसरों को भी सुरक्षित रखना है मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं बल्कि सामाजिकसंवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है। कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशील और सहयोगी वातावरण बनाना चाहिए।कई कंपनियां पहले से ही लचीले कार्यसमय, वर्क फ्रॉम होम और स्वास्थ्य अवकाश जैसी सुविधाएँ दे रही हैं। यदि इन व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए तो महिलाओं को बिना किसी अतिरिक्त कानूनी बोझ के भी सटीक रूप से राहत मिल सकती है।

साथियों बात अगर हम अदालत की सामाजिक चेतावनी को समझने की करें तोसुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मासिक धर्म को किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरह प्रस्तुत करना भी सही नहीं है। महिलाओं की जैविक प्रक्रिया को सम्मान और सामान्यता के साथ देखा जाना चाहिए।अदालत के अनुसार यदि पीरियड लीव को अनिवार्य कानून बना दिया गया, तो इससे समाज में यह धारणा बन सकती है कि महिलाएं नियमित रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।इस प्रकार अदालत ने महिला सशक्तिकरण के उस सिद्धांत पर जोर दिया जिसमें महिलाओं को कमजोर या निर्भर नहीं बल्कि सक्षम और बराबरी के भागीदार के रूप में देखा जाता है। नियोक्ताओं की चिंता और आर्थिक वास्तविकतासुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची ने भी यह टिप्पणी की कि याचिका का विचार अच्छा है, लेकिन नियोक्ताओं की स्थिति को भी समझना जरूरी है। यदि हर महिला कर्मचारी को महीने में दो दिन अतिरिक्त पेड लीव देनी पड़े, तो इसका आर्थिक बोझ कंपनियों पर पड़ेगा। खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह बोझ अधिक हो सकता है।भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है, वहां किसी भी नई नीति को लागू करते समय उसके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को नीति बनाने का सुझाव को समझने की करें तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उसने इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष अपना ज्ञापन दे चुके हैं।

अदालत ने सुझाव दिया कि सरकार इस विषय पर सभी हितधारकों महिला संगठनों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से चर्चा कर एक संतुलित नीति बनाने पर विचार कर सकती है।इसका अर्थ यह है कि अदालत ने इस मुद्दे को नकारा नहीं बल्कि इसे नीति निर्माण के दायरे में भेज दिया।

साथियों बात अगर हम इस पूरे मामले को वैश्विक परिप्रेक्ष्य मैं समझने की करें व दुनिया में पीरियड लीव की व्यवस्था को देखें तो दुनिया के कुछ देशों में पीरियड लीव का प्रावधान मौजूद है। उदाहरण के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी लेने का अधिकार दिया गया है।हाल ही में स्पेन ने भी महिलाओं को पीरियड लीव देने का कानून लागू किया। लेकिन कई देशों में यह व्यवस्था विवादित भी रही है क्योंकि इससे महिलाओं की भर्ती में भेदभाव की आशंका बढ़ सकती है।यही कारण है कि कई विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि पीरियड लीव को अनिवार्य कानून बनाने के बजाय कंपनियों को लचीली नीतियाँ अपनाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि संतुलित नीति ही समाधान, मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा महिलाओं के स्वास्थ्य समानता और रोजगार के अवसरों से जुड़ा एक जटिल विषय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह संकेत देता है कि किसी भी सामाजिक नीति को लागू करने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।महिलाओं को कमजोर या असहाय बताने के बजाय उन्हें सक्षम और स्वतंत्र नागरिक के रूप में देखना ही वास्तविक सशक्तिकरण है।भविष्य में संभव है कि सरकार व्यापक चर्चा के बाद ऐसी नीति तैयार करे जो महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और उनके रोजगार अवसरों को भी सुरक्षित रखे।अंततः महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य केवल विशेष सुविधाएँ देना नहीं बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ महिलाएं बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें।और यही वह संतुलन है जिसे बनाए रखना किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

कमर्शियल गैस बैन का असर, पुरी बेला मार्ग पर अफरा-तफरी, ज़्यादातर रेस्टोरेंट बंद

गैस की कमी को लेकर क्योंझर शहर में लोगों ने सड़क जाम कर दी है।

मनोरंजन ससमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण ओडिशा में गैस की कमी का असर महसूस किया जा रहा है। कमर्शियल गैस पर बैन के असर के चलते, पुरी में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रही। दोपहर और शाम के समय, जब बेला मार्ग पर गाड़ियों का चलना मुश्किल होता है, तब भी वहाँ इक्का-दुक्का गाड़ियाँ ही नज़र आईं। बेला मार्ग पर मौजूद ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट बंद थे। जहाँ होटल और रेस्टोरेंट खुले भी थे, वहाँ खाना लकड़ी और कोयले के चूल्हों पर पकाया जा रहा था। इसी तरह, खाने-पीने की चीज़ें भी काफ़ी ऊँचे दामों पर बेची जा रही थीं। पुरी में बनने वाली रबड़ी और दूसरी मिठाइयों को बनाने में भी काफ़ी गैस खर्च होती है। इसलिए, गैस न मिल पाने के कारण, गुरुवार को मंदिर के आस-पास की ज़्यादातर मिठाई की दुकानें भी बंद रहीं। सड़क किनारे और वैन में दुकानें लगाने वाले व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और अपने-अपने गाँवों को लौटने लगे हैं। लंबे समय पहले बुकिंग करवाने के बावजूद गैस न मिलने और होम डिलीवरी ठीक से न होने को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक शायद गैस नहीं मिल पाएगी। इस वजह से लोगों में चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है।

नतीजतन, गैस मिलने में हो रही भारी देरी के कारण लोगों में जो नाराज़गी पनप रही थी, वह आज अचानक भड़क उठी। गैस इस्तेमाल करने वालों ने आज सड़क जाम कर

दी और ज़ोरदार प्रदर्शन किया। खबर मिलते ही टाउन पुलिस स्टेशन की पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और लोगों से बातचीत की। कुछ देर बाद, सड़क से जाम हटा दिया गया। आज सुबह, गैस इस्तेमाल करने वालों ने सिलिंडर हाथों में लेकर गैस कंपनी के दफ़्तर के सामने प्रदर्शन किया था, लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सड़क जाम कर दी। सड़क पर जाम ज़्यादा देर तक नहीं लगा रहा। पुलिस मौके पर पहुँची और बातचीत के ज़रिए जाम हटवा दिया; यह जानकारी पुलिस स्टेशन के अधिकारी श्रीकांत साहू ने दी। इस बीच, गैस दफ़्तर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा होने के कारण, वहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

धनबाद मे कोयले की अवैध माइनिंग एवं प्रदुषण पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, धनबाद शहर में उड़ती काली हवा और कोयले की गैर कानूनी खनन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त हो गया है ।एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए धनबाद के डीसी, एसएसपी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और धनबाद नगर निगम के आयुक्त को 2 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि धनबाद में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और अवैध माइनिंग तथा कोयले के परिवहन से प्रदूषण की समस्या और बढ़ती दिख रही है। अदालत ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है।

कोर्ट ने बीसीसीएल के सीएमडी को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है, ताकि वे इस समस्या के समाधान को लेकर अपना पक्ष और सुझाव रख सकें। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि अवैध माइनिंग के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित रूप से नहीं हो रही है।अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अवैध खनन और उससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बढ़ते प्रदूषण के कारण इलाके में लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में ग्रामीण एकता मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि धनबाद में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका

अमृतसर, 12 मार्च (साहिल बेरी)

दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में अदालत द्वारा सभी आरोप खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ (सचखंड श्री हरमंदिर साहिब) में माथा टेकने पहुंचे। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी अपनी पत्नी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दरबार साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ लंबे समय तक झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के पांच शीर्ष नेताओं को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर जेल भेजा गया और एक मौजूदा मुख्यमंत्री को भी आधी रात को उनके घर से उठाकर जेल भेज दिया गया। अब अदालत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मामले में ट्रायल चलाने के लिए भी पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा, "यह सब कुछ वाहेगुरु की कृपा और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। मैं पहले भी कई बार दरबार साहिब आकर आशीर्वाद ले चुका हूं। आज हमारी इज्जत बहाल होने और सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद मैं, मेरी पत्नी, मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके परिवार के साथ यहां माथा टेकने और वाहेगुरु का धन्यवाद करने आए हैं। हमें लोगों की सेवा करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है और हम उसी भावना के साथ काम करते रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में स्कूलों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी पंजाब में बहुत काम किया जाना बाकी है और राज्य को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार से Invest Punjab कार्यक्रम शुरू हो रहा है और देश-विदेश के कई उद्योगपति पंजाब में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के तीन करोड़ लोगों के साथ मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे थे और मामला चलाने लायक भी नहीं था। उन्होंने कहा कि इसी खुशी और कृतज्ञता के भाव से वे दरबार साहिब में माथा टेकने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार चार वर्ष पूरे करने वाली है और बजट सत्र भी चल रहा है। सरकार ने जनता-हित में बजट पेश किया है ताकि पंजाब तेजी से प्रगति करे और देश का नंबर-वन राज्य बने। भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में किसानों की आत्महत्या के मामलों में भी काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2022 को केवल 21 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंचता था, जबकि मार्च 2026 तक यह बढ़कर लगभग 75-80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बिजली की खपत भी कम हुई है और किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका समझौते से कृषि क्षेत्र को बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो छोटे किसान अमेरिकी सस्ते अनाज से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि Invest Punjab Summit 13 से 15 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें जापान, कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड सहित कई देशों के निवेशक भाग लेंगे। साथ ही 20 मार्च को Tata Steel के नए संयंत्र का उद्घाटन भी किया जाएगा, जो जमशेदपुर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा।

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का संवेदनशील फैसला (मानव गरिमा और न्याय का संतुलन)

- डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की न्याय व्यवस्था केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था भर नहीं है, बल्कि वह समाज के नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था भी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में दिया गया निर्णय इसी मानवीय दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है। पिछले तेरह वर्षों से स्थायी वनस्पतिक अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हरीश राणा के मामले में अदालत ने उनके परिजनों को जीवन-रक्षक चिकित्सा उपकरण हटाने की अनुमति प्रदान की। यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि मानव जीवन की गरिमा, पीड़ा और नैतिक दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पर्दिवाला और न्यायमूर्ति विस्वनाथं की पीठ ने जिस संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया, वह भारतीय न्याय व्यवस्था की गरिमा को दर्शाता है। विशेष रूप से निर्णय सुनाते समय न्यायमूर्ति पारदीवाला का भावुक होना इस बात का संकेत है कि न्यायालय केवल विधिक तर्कों के आधार पर नहीं चलता, बल्कि वह मानवीय पीड़ा को भी गहराई से समझने का प्रयास करता है।

इच्छामृत्यु का प्रश्न लंबे समय से समाज, चिकित्सा विज्ञान और कानून के बीच बहस का विषय रहा है। सामान्य शब्दों में इच्छामृत्यु का अर्थ है ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को मृत्यु की अनुमति देना, जब उसका जीवन असाध्य बीमारी या असहनीय पीड़ा से घिरा हो और उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना न हो। भारतीय कानून में सक्रिय इच्छामृत्यु अर्थात किसी को जानबूझकर मृत्यु देना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन निष्क्रिय इच्छामृत्यु अर्थात जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है।

हरीश राणा का मामला इसी निष्क्रिय इच्छामृत्यु से जुड़ा हुआ है। वे पिछले तेरह वर्षों से ऐसी अवस्था में हैं जिसे चिकित्सा विज्ञान में स्थायी वनस्पतिक अवस्था कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जीवित तो रहता है, परंतु उसके मस्तिष्क की चेतन क्रियाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। वह स्वयं निर्णय लेने, बोलने या सामान्य प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं होता। ऐसे रोगियों का जीवन प्रायः कृत्रिम उपकरणों और निरंतर चिकित्सकीय देखभाल पर निर्भर रहता है।

किसी भी परिवार के लिए यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है। वर्षों तक अपने प्रियजन को अचेत अवस्था में देखना मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत कठिन अनुभव होता है। इसके साथ-साथ आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए कई बार परिवार यह कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या केवल मशीनों के सहारे जीवन बनाए रखना वास्तव में उचित है।

यहीं से इच्छामृत्यु का नैतिक प्रश्न सामने आता है। एक ओर मानव जीवन को सर्वोच्च मूल्य माना जाता है और उसे हर परिस्थिति में बचाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर यह भी प्रश्न उठता है कि यदि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित रह जाए और उसमें चेतना, संवाद और मानवीय अनुभव समाप्त हो जाएं, तो क्या उसे उसी प्रकार जीवन कहा जा सकता है जैसा हम सामान्य रूप से समझते हैं।

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर इन जटिल प्रश्नों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। पहले भी अदालत यह स्पष्ट कर चुकी है कि व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या व्यक्ति को गरिमा के साथ मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि इस विषय में अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है, ताकि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके।

इसी कारण भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के मामले में जीवन-रक्षक उपचार हटाने का निर्णय केवल परिवार की

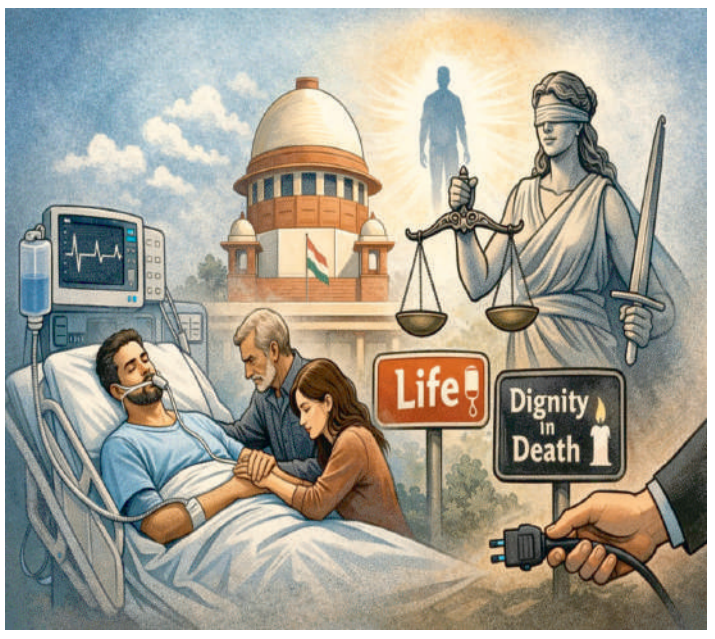

इच्छा से नहीं लिया जा सकता। इसके लिए चिकित्सकों की विशेषज्ञ समिति, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और न्यायिक अनुमति जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय पूरी तरह मानवीय हित और चिकित्सकीय तथ्यों के आधार पर लिया जाए।

हरीश राणा के मामले में भी अदालत ने सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही यह निर्णय दिया। इस फैसले का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह समाज को यह सोचने का अवसर देता है कि जीवन की गरिमा का वास्तविक अर्थ क्या है। केवल शारीरिक अस्तित्व बनाए रखना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन में चेतना, संवाद, अनुभव और मानवीय संबंधों का भी उतना ही महत्व है।

इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इच्छामृत्यु जैसे विषय पर समाज में गंभीर और जिम्मेदार चर्चा हो। कुछ लोग इसे मानवीय पीड़ा से मुक्ति का माध्यम मानते हैं, जबकि कुछ इसे जीवन के मूल्यों के विरुद्ध मानते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन स्थापित करना ही कानून और समाज की सबसे बड़ी चुनौती है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी इस विषय को प्रभावित करती हैं। अनेक परंपराओं में जीवन को ईश्वर का उपहार माना जाता है और उसकी समाप्ति को केवल प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इच्छामृत्यु के प्रश्न पर लोगों की भावनाएं भी गहराई से जुड़ी होती हैं।

फिर भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने इस विषय को नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। आज चिकित्सा तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि कई बार व्यक्ति को लंबे समय तक कृत्रिम रूप से जीवित रखा जा सकता है। ऐसे में यह प्रश्न और अधिक जटिल हो जाता है कि क्या हर परिस्थिति में जीवन को इसी प्रकार बनाए रखना उचित है।

इस संदर्भ में अदालत का यह निर्णय संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह फैसला न केवल कानून की मर्यादा का पालन करता है, बल्कि मानवीय संवेदना को भी सम्मान देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जीवन की गरिमा और मानवीय पीड़ा दोनों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे मामलों में निर्णय लिया जाना चाहिए।

यह निर्णय स्वास्थ्य व्यवस्था और नीति-निर्माताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि चिकित्सा तकनीक लगातार विकसित हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि स्पष्ट दिशानिर्देश और पारदर्शी प्रक्रियाएं विकसित की जाएं, ताकि मरीजों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े।

इसके साथ-साथ समाज को भी यह समझना होगा कि इच्छामृत्यु का प्रश्न केवल कानून का विषय नहीं है। यह मानवीय संवेदना, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे मामलों में सहानुभूति, संवेदनशीलता और विवेक के साथ विचार करना आवश्यक है।

अंततः, हरीश राणा का मामला हमें यह याद दिलाता है कि न्याय केवल नियमों और प्रावधानों तक सीमित नहीं है। न्याय का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य की गरिमा की रक्षा करना है। जब न्याय व्यवस्था मानवीय पीड़ा को समझते हुए निर्णय लेती है, तब वह केवल कानून लागू नहीं करती, बल्कि समाज को एक नैतिक दिशा भी प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन की रक्षा के साथ-साथ उसकी गरिमा को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। अंततः एक संवेदनशील समाज वही होता है जो अपने सबसे कठिन नैतिक प्रश्नों का सामना साहस, विवेक और मानवता के साथ कर सके।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

हर खरीद में छुपा है आपका अधिकार – जानिए, समझिए, अपनाइए

[उपभोक्ता की जागरूकता ही बाजार की असली निगरानी]

[उपभोक्ता चेतना : भरोसेमंद और टिकाऊ बाजार की कुंजी]

- प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

बाजार की इस विशाल दुनिया में हम सब किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। हमारा पहनावा, हमारा भोजन और हमारी रोजमर्रा की सेवाएँ—ये सभी हमें उपभोक्ता की पहचान देती हैं। पर सवाल यह है कि क्या हर उपभोक्ता अपने अधिकारों से सचमुच परिचित है? क्या उसे यह पता है कि बाजार से उसे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं? यदि नहीं, तो यह जागरूकता आखिर आएगी कब और कैसे? इन्हीं प्रश्नों को केंद्र में रखकर हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें, उनके लिए आवाज उठाएँ और एक निष्पक्ष व पारदर्शी बाजार व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकें।

तेजी से बदलते बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं। इसी संदर्भ में वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम "सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता" निर्धारित की गई है। यह केवल औपचारिक विषय नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं में सुरक्षा और भरोसा मजबूत करने का संदेश है। जब बाजार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में तेजी से फैल रहा है, तब उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। इसलिए उपभोक्ताओं को सुरक्षित, प्रमाणित और भरोसेमंद उत्पाद व सेवाएँ मिलना जरूरी है। साथ ही बाजार व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ विकल्प उपलब्ध हों, ताकि उपभोक्ता विश्वास के साथ खरीदारी कर सकें।

केवल उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती यह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। उन्हें यह तक पता नहीं होता कि खराब गुणवत्ता का उत्पाद मिलने या किसी सेवा में धोखा होने पर शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कराई जाए। कई बार लोग शिकायत करने से इसलिए भी बचते हैं कि उन्हें लगता है, इससे कोई ठोस बदलाव नहीं होगा। यही उदासीन सोच और चुप्पी व्यापारिक अनियमितताओं को पनपने का अवसर देती है।

अक्सर बाजार में उपभोक्ता गलत जानकारी, भ्रामक विज्ञापनों, मिलावटी उत्पादों और अनुचित कीमतों का शिकार बनते हैं। डिजिटल युग ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है, जहाँ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और नकली उत्पादों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में उपभोक्ताओं का जागरूक होना और अपने अधिकारों की रक्षा करना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जो उन्हें सुरक्षा, सूचना, सुनवाई,

शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन ये कानून तभी प्रभावी बनते हैं, जब उपभोक्ता स्वयं सतर्क और जागरूक हों।

वैश्विक स्तर पर भी अब उपभोक्ता अधिकारों को एक नई दिशा देने की पहल हो रही है। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन और इसके सदस्य संगठन टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने और उसे सरल व सुलभ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। यदि उपभोक्ता अपनी खरीदारी की आदतों में बदलाव लाएँ, तो वे न केवल अपने स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक के स्थान पर पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को अपनाना, जैविक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना और अनावश्यक उपभोग से बचना—ये सभी टिकाऊ जीवनशैली की ओर सकारात्मक कदम हैं।

हालाँकि यह परिवर्तन तभी संभव है, जब उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदारी निभाएँ। हर व्यक्ति को अपने क्रय-विक्रय के निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जाँच करना, प्रमाणित विक्रेताओं से ही खरीदारी करना और किसी धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार की स्थिति में उचित मंच पर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। जब उपभोक्ता सचेत और सक्रिय होंगे, तभी कंपनियाँ भी अधिक जवाबदेह बनेंगी और बाजार में अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।

यह अवसर महज़ जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकल्प लेने का भी समय है। यह हमें याद दिलाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क रहें तथा हर खरीद-फरोख्त का निर्णय समझदारी, जिम्मेदारी और दूरदृष्टि के साथ लें। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को भली-भाँति समझेगा और टिकाऊ जीवनशैली को अपनाने की दिशा में सचेत कदम बढ़ाएगा, तब निश्चित रूप से एक ऐसी बाजार व्यवस्था का निर्माण संभव होगा जो न्यायसंगत, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल हो।

उपभोक्ता अधिकारों की अवधारणा किसी एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा और सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई, पारदर्शिता और संतुलित विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब उपभोक्ता अपने अधिकारों को सही मायनों में समझेंगे, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के विरुद्ध साहसपूर्वक आवाज उठाएँगे और जागरूक होकर टिकाऊ विकल्पों को अपनाएँगे, तभी वास्तव में एक संतुलित, न्यायपूर्ण और सशक्त उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण संभव हो सकेगा।

टाटा लीज भूमि अतिक्रमण, राजस्व, नीलाम आदि की समीक्षा बैठक जमशेदपुर उपायुक्त ने की

बुढा मारा चाकुलिया महत्वपूर्ण रेल लाईन रैयतों का कार्य को दी प्राथमिकता

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

राची, पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, टाटा लीज भूमि अतिक्रमण जन शिकायत के लंबित मामले से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई । सभी विभागों के राजस्व संग्रहण की क्रमवार समीक्षा में यह स्षष्ट निर्देश दिया गया कि जो विभाग अभी राजस्व संग्रहण में पिछड़ रहे हैं, कार्ययोजना बनाते हुए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। खासकर राज्यकर जमशेदपुर, सिंहभूम सर्कल, खनन, विद्युत प्रमंडल मानगो, जमशेदपुर तथा घाटशिला, मोटर वाहन निरीक्षक, मापतौल बिष्टूपुर तथा घाटशिला सहित मानगो, जुगसलाई तथा चाकुलिया नगर निकायों को राजस्व संग्रहण लक्ष्य को वितीय वर्ष के अंत तक हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करें। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग भी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करें। मनरेगा तथा 15वे वित के वेंडरों का जीएसटी भुगतान नियमित रूप से कराने के लिए जागरूक करने के लिए आवश्यकता बताई।

नीलाम पत्र की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी 25 नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लम्बे समय से चले आ रहे नीलाम पत्र वाद, पिछले 1 वर्ष का लंबित नीलाम वाद तथा नये नीलाम वादों के निष्पादन के लिए अलग अलग रणनीति के तहत मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। लंबित मामलों का निष्पादन करने के लिए संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बैंको से समन्वय कर बैंक स्तर से सेटलमेंट रिपोर्ट मगवाकर मामले को निष्पादित करने तथा अधिक से अधिक केश डिस्पोजल के लिए अपने कोर्ट में सुनवाई की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। अगामी 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत में नीलाम पत्र अथवा सर्टीफीकेट केस के निष्पादन लोगों को समझौता कराने हेतु जागरूक तथा प्रोत्साहित करने को कहा।

भू-अर्जन से संबंधित मामलो की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान के कारण कोई भी राष्ट्रीय अथवा राजकीय परियोजनाएं प्रभावित न हो यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होने कहा भूमि अधिग्रहण, भू-अर्जन से संबंधित सभी पक्षकार रैयतों के साथ उचित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करें। प्राथमिकता के आधार पर भूमि अधिग्रहण, भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों का अनुश्रवण हेतु अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। इस क्रम में दक्षिण पुर्वी रेलवे की विशेष रेलवे परियोजना "नई बी0 जी0 रेलवे लाईन बुरामारा-चाकुलिया(56.96 किमी0)" हेतु चाकुलिया तथा बहरागोड़ा प्रखंड के 49 मौजा में रैयतों की भूमि अधिग्रहण मामले में उपायुक्त ने प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ हीं सरकारी भूमि का स्थानंतरण रेलवे को करने के लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 के ऐलीवेटेड कोरीडोर काली मंन्दिर-डिमना चौक-बालीगुमा (जमशेदपुर) में ड्रेन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन, संयुक्त रूप से स्थल का भौतिक निरीक्षण आदि कराते हुए आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करने, रैयतों को ससमय मुआवजा भुगतान कर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पिछली से कुदादा पथ, भागबन्दी से उड़ीसा सीमा तक पथ, बेगनाडीह से पोटका पथ के विभिन्न नालों पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण, भुईयासिनान से सुसनी पथ, फुलडूंगरी से झाटीझरना पथ, किताडीह से बागबेड़ा रिंग रोड हेतु भूमि अधिग्रहण की समीक्षा कर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि एवं रैयतों के लंबित मुआवजा भुगतान की समीक्षा करते हुए प्रत्येक पंचाटियों/अवार्डी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मुआवजा भुगतान में अनावश्यक विलम्ब करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया।

जमीन की खरीद बिक्री, म्यूटेशन, परमिशन, भूमि सीमांकन तथा भूमि अभिलेख में परिशोधन तथा लगान रसीद काटने की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को विशेष कैम्प आयोजित कर राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सभी हल्का/तहसील में नागरिकों के समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया। निबंधन, म्यूटेशन, परमिशन मामले में रिजेकशन कम करने के लिए आवेदकों अथवा डीड राइटर के द्वारा निबंधन पूर्व एवं निबंधन पश्चात आवेदन में की जाने वाली सामान्य गलतियों एवं निबंधन, भुमि सुधार एवं राजस्व विभाग के साफ्टवेयर एपलिकेशन आने वाली तकनिकी समस्याओं को सूचिबद्ध कर विभाग से पत्राचार कर समाधान हेतु आग्रह करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त लगान रसीद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में निदेशक एनईपी सह अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, एसडीओ घाटशिला सुनिल चद्र, जिला परिवहन पदाधिकारी धन्नजय, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सभी सीओ, एनएचएआई, टाटा स्टील, रेलवे के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

"मुर्गी चोर मुर्दाबाद ,हाथी चोर जींदाबाद"

झारखंड एसीबी द्वारा छोटी रकम, छोटे कर्मचारी पर धावा से लोग आश्चर्य में

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, जमीन माफियाओं के मकड़जाल में भ्रष्ट सरकारी तंत्र जकड़ा हुआ है कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग झारखंड के संदर्भ नहीं होगा । यह हर अंचल, भू समाहर्ता , अपर समाहर्ता से लेकर तत्संबंधी रांची तक उक्त विभाग का हाल है । इसी क्रम में महज दस हजार रूपये की एक छोटी सी धनराशि रिश्वत की रकम पर एसीबी ने दबोचा ते हुए दो लोगों बाबाधाम नगरी से को गिरफ्तार किया है ।

देवघर में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला भू-अर्जन कार्यालय के दो कर्मचारियों को 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की पहचान प्रधान सहायक निरंजन कुमार और चपरासी नुनदेव यादव के रूप में हुई है।

एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामलों में भुगतान के लिए अवैध वसूली की जा रही है। आरोप था कि निरंजन कुमार और नुनदेव यादव अधिकारियों के नाम पर लाभार्थियों से 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन की मांग करते थे। कमीशन के बिना फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती थीं।

एक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद दोनों को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय ले जाया गया है, जहां मामले की विस्तृत जांच जारी है। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा ।सवाल आता है 10-20 हजार छोटी सी धनराशि पर चपरासी छोटे कर्मचारी ही हमेशा क्यों फंसते आये है एसीबी के हाथों । जबकि झारखंड में जमीन जायदाद संबंधि भ्रष्टाचार का मामला का अंबार अटा पड़ा है । लोग त्रस्त है और कार्रवाई से भी आश्चर्य है ।

राजस्थानी मित्र मंडल महिलाओं ने श्रद्धा के साथ किया दशा माता पूजन

परिवहन विशेष न्यूज

बालाजी नगर स्थित आईजी गौशाला में मंदिर में राजस्थानी मित्र मंडल महिलाओं ने शुक्रवार को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दशा माता की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार एकत्रित हुईं और समूह में बैठकर दशा माता की कथा का श्रवण किया। पूजन के दौरान महिलाओं ने भक्ति गीत गाकर माताजी का महिमामंडन किया, जिससे पूरे मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके पश्चात महिलाओं ने पीपल वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत बांधकर पूजा-अर्चना की तथा परिक्रमा लगाकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में राजस्थानी महिलाएं उपस्थित रही और सभी ने मिलकर श्रद्धा भाव से पूजा कार्यक्रम में भाग समस्त राजस्थानी मित्र मंडल महिलाओं व अन्य उपस्थित रहे।

राजस्थानी महिलाओं ने श्रद्धा के साथ किया दशा माता पूजन

जगदीश सीरवी

गडीमैसम्माः दोमरा पोचम्मपल्ली स्थित हनुमान जी मंदिर में राजस्थानी महिलाओं ने शुक्रवार को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दशा माता की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार एकत्रित हुईं और समूह में बैठकर दशा माता की कथा का श्रवण किया। पूजन के दौरान महिलाओं ने भक्ति गीत गाकर माताजी का महिमामंडन किया, जिससे पूरे मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके पश्चात महिलाओं ने पीपल वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत बांधकर पूजा-अर्चना की तथा परिक्रमा लगाकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में राजस्थानी महिलाएं उपस्थित रही और सभी ने मिलकर श्रद्धा भाव से पूजा कार्यक्रम में उपस्थित लक्ष्मी सोलंकी, रेखा हाम्बड़, गीता सोलंकी, रेखा गेहलोत, सुशीला गेहलोत,इंदिरा काग, तारा काग, सुशीला गेहलोत, गीता सैणचा, भंवरी सैणचा, गीता मुलेवा,सोना, भावना, पीकी,भुण्डकी, संगीता, भंवरी बड़ा, गणकी राठौड़, गीता मुलेवा, व अन्य।

माननीय जस्टिस रोहित कपूर द्वारा अमृतसर और बाबा बकाला साहिब की अदालतों का वार्षिक निरीक्षण

अमृतसर, 13 मार्च (साहिल बेरी) –

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश तथा सेशन डिवीजन अमृतसर के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय जस्टिस रोहित कपूर ने आज अमृतसर और बाबा बकाला साहिब की अदालतों का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम जतिंदर कौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलजिंदर सिंह, सीजेएम मैडम सुप्रीत कौर, एसीजेएम मैडम परमिंदर कौर बैंस तथा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमरदीप सिंह बैंस भी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान माननीय जस्टिस रोहित कपूर ने अदालतों की कार्यप्रणाली, न्यायिक ढांचे, केस मैनेजमेंट प्रणाली और समूची प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और अदालत के स्टाफ से मुलाकात करते हुए मामलों के समयबद्ध निपटारे, न्यायिक कार्य की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और लोगों को प्रभावी न्याय प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।

माननीय जस्टिस रोहित कपूर ने जिला बार एसोसिएशन, अमृतसर के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की और अदालतों के कामकाज तथा कानूनी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दौरे के दौरान उन्होंने वादियों और आम लोगों की शिकायतें भी सुनीं और भरोसा दिलाया कि कानून के अनुसार उनके मामलों के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

माननीय जस्टिस रोहित कपूर ने 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा की और न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कराया जाए, ताकि वादियों को लाभ मिल सके।

इस अवसर पर माननीय जस्टिस रोहित कपूर ने बाबा बकाला साहिब में ई-मुलाकात सुविधा का उद्घाटन भी किया। इस सुविधा के माध्यम से कैदी अपने वकीलों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क कर सकेंगे। यह व्यवस्था कैदियों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के बीच संवाद को आसान और प्रभावी बनाने तथा न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस मौके पर न्यायिक अधिकारी और स्थानीय बार के सदस्य भी मौजूद रहे और उन्होंने डिजिटल पहुंच बढ़ाने तथा कानूनी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए किए गए इस प्रयास की सराहना की।

यह दौरा सेशन डिवीजन अमृतसर में अदालतों के प्रशासन को बेहतर बनाने, ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने और न्याय की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इससे पहले अमृतसर पहुंचने पर जस्टिस रोहित कपूर का जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी कमिश्नर श्री दलविंदरजीत सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर तथा एसएसपी अमृतसर ग्रामीण जनाब सोहेल कासिम मीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पंजाब पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।

महिलाओं और बेटियों को ₹1000 और ₹1500 मासिक सम्मान राशि की घोषणा पर हल्का पश्चिमी में रोड शो

अमृतसर, 13 मार्च (साहिल बेरी):

अमृतसर हल्का पश्चिमी में विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू के नेतृत्व में माताओं और बहनों द्वारा पंजाब सरकार की पहलों तथा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा महिलाओं के सम्मान के रूप में ₹1000 और ₹1500 प्रति माह देने की घोषणा की खुशी में एक रोड शो निकालकर सरकार का धन्यवाद किया गया।

इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और खुशी का इज़हार किया।

महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम आम परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

उन्होंने बताया कि महंगाई के इस दौर में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना भी कई बार चुनौती बन जाता है। हर महीने मिलने वाली यह आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और घर की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी।

उन्होंने कहा कि जैसे बीमारी के समय सरकारी इलाज सुविधाएं लोगों के लिए सहारा बनती हैं, उसी तरह यह आर्थिक सहायता भी समय की बड़ी जरूरत है। महिलाओं ने कहा कि जो लोग ₹1000 को कम समझते हैं, उन्हें आम घरों की महिलाओं से पूछना चाहिए कि यह राशि उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर सुनीता, परमजीत कौर, मनजीत कौर रजिया, कुलजीत कौर, राजविंदर कौर, अनु सलवान, अकविंदर कौर, पूजा, पार्षद विजय भगत, संदीप सिंह, प्रभ उप्पल, अमरजीत गुमटाला, एडवोकेट रमण कुमार, सरपंच जीतू, अमनदीप, परमजीत कौर, अमृतपाल सिंह, पीए अमरजीत शेरगिल, पीए माधव शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

अगर आप चाहें तो मैं इसको न्यूज एजेंसी/अखबार स्टाइल (headline + subheadline + short intro) में भी तैयार कर सकता हूँ, जिससे यह सीधे प्रकाशित करने के लिए और प्रोफेशनल लगेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023